

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

सीआईएन: L40101HR1975GOI032564

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली

1. एनएचपीसी लिमिटेड (जिसे इसके बाद "नियोक्ता" कहा गया है) द्वारा पात्र बोलीदाताओं से ई-रिवर्स नीलामी (ई-आरए) सहित घरेलू प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से, एकल चरण - दो भाग बोली आधार पर (अर्थात भाग-I: अर्हता मानदंड + तकनीकी बोली तथा भाग-II: वित्तीय बोली) "लॉट-3 पैकेज: जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के किश्तवाड़ जिले, भारत में 260 मेगावाट दुलहस्ती चरण-II जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन हेतु सभी गेटों और प्रेशर शाफ्ट लाइनरों के हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य" के लिए ऑनलाइन बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i)	निविदा विनिर्देश संख्या	NH/CCW/CC-IV/CO-486/PR/26/407
ii)	निविदा आईडी	2026_NHPC_929592_1
iii)	निविदा का माध्यम	ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली (ऑनलाइन) कवर-I - अर्हता विवरण और तकनीकी-वाणिज्यिक बोली कवर-II - मूल्य बोली केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के वेब पोर्टल http://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से
iv)	कार्य का दायरा	सभी गेटों, उनकी संचालन प्रणालियों तथा प्रेशर शाफ्ट लाइनरों के लिए: डिज़ाइन, विस्तृत निर्माण, उप-असेंबली और असेंबली ड्राइंग तैयार करना, प्रापण, निर्माण/विनिर्माण, निरीक्षण, कार्यशाला में असेंबली, परीक्षण, पेंटिंग, परिवहन, स्थल पर भंडारण एवं स्थल पर संस्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग (उपर्युक्त के लिए आवश्यक सभी श्रम, संयंत्र और सामग्री की व्यवस्था सहित), स्वामी को हस्तांतरण, तथा 5 वर्ष के परेशानी-मुक्त संचालन के लिए आवश्यक पुर्जों की आपूर्ति। तकनीकी विनिर्देशों के निम्नलिखित खंडों में निर्दिष्ट परियोजना के निर्धारित स्थान पर सभी सहायक उपकरणों सहित, ऐसी सभी आनुषंगिक वस्तुओं की आपूर्ति और संस्थापन, जो विशेष रूप से निर्दिष्ट नहीं हैं किंतु कार्यों के उचित समापन और संतोषजनक कार्यप्रणाली तथा स्थायी उपकरणों की गारंटी के लिए आवश्यक हैं, वे भी कार्य के दायरे में होंगी। कार्य के दायरे में आपूर्ति किए गए कार्यों के सभी भागों की संपूर्ण असेंबली और (यदि आवश्यक हो) विघटन के लिए आवश्यक सभी विशेष औज़ार तथा उठाने के उपकरण, रस्से आदि सहित सभी विशेष उपकरण शामिल होंगे।

v)	अनुमानित लागत	131.23 करोड़ रुपये।
vi)	पूर्णता की समय-सीमा	38 माह
vii)	i) अग्रिम धनराशि जमा (ईएमडी)/बोली प्रतिभूति ii) निविदा दस्तावेज़ शुल्क (अवापसी योग्य नहीं), डीडी के माध्यम से।	i) 1.97 करोड़ रुपये ii) 10000/- रुपये (दस हजार रुपये मात्र), एनएचपीसी लिमिटेड, फरीदाबाद के पक्ष में
viii)	एनआईटी जारी करने की तिथि और निविदा देखने की तिथि व समय	09-10-2026 (17:30 बजे)
ix)	बोली संबंधी स्पष्टीकरण प्राप्त करने की अंतिम तिथि	22-10-2026 (17:00 बजे)
x)	बोली-पूर्व सम्मेलन की तिथि और स्थान	26-10-2026 (11:00 बजे) एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत-121003
xi)	http://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली के लिए ई-निविदा जमा करना प्रारंभ होने की तिथि	13-11-2026 (15:00 बजे)
xii)	ऑनलाइन तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली जमा करने की अंतिम समय-सीमा।	20-11-2026 (17:00 बजे)
xiii)	निविदा आमंत्रण प्राधिकारी को हार्ड कॉपी (ऑफ़लाइन दस्तावेज़) जमा करने की अंतिम समय-सीमा	23-11-2026 (15:00 बजे)
xiv)	ऑनलाइन और ऑफ़लाइन बोलियाँ खोलने का स्थान, तिथि और समय: a) भाग-I - तकनीकी-वाणिज्यिक बोली b) भाग-II - मूल्य बोली	<u>स्थान: महाप्रबंधक (सीसी-IV) का कार्यालय, अनुबंध-सिविल प्रभाग, दूसरी मंज़िल, ज्योति सदन, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा)</u> a) 23-11-2026 (15:30 बजे) b) जिन बोलीदाताओं की तकनीकी-वाणिज्यिक बोलियाँ अनुरूप पाई जाएँगी, उन्हें तिथि और समय बाद में सूचित किया जाएगा
xv)	ई-रिवर्स नीलामी प्रारंभ होने की तिथि और समय	एनएचपीसी द्वारा अलग से सूचित किया जाएगा
xvi)	निविदा आमंत्रण प्राधिकारी	महाप्रबंधक (सीसी-IV), अनुबंध-सिविल प्रभाग, दूसरी मंज़िल, ज्योति सदन, एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा), ई-मेल: contcivil4-co@nhpc.nic.in

1.1 पूरी निविदा केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर देखी और जमा की जा सकती है (साइट तक पहुँचने का लिंक www.nhpcindia.com पर निविदा कॉर्नर में

‘ई-प्रोक्योरमेंट’ के रूप में भी उपलब्ध है)। बोलियाँ केवल सीपीपीपी वेबसाइट अर्थात् <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर ऑनलाइन जमा की जाएँगी। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के माध्यम से बोलियाँ ऑनलाइन जमा करने के लिए ‘बोलीदाताओं को निर्देश’ में दिए गए निर्देशों का पालन करें।

2. ई-निविदा के लिए बोलीदाताओं को विशेष निर्देश:

2.1 पंजीकरण:

- बोलीदाताओं को मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध “ऑनलाइन बोलीदाता नामांकन” विकल्प का उपयोग करके केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल के ई-प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल पर नामांकन करना आवश्यक है। सीपीपीपी पोर्टल पर नामांकन निःशुल्क है।
- नामांकन/पंजीकरण के दौरान बोलीदाताओं को वैध ईमेल-आईडी और मोबाइल नंबर सहित सही/सत्य जानकारी देनी चाहिए। सभी पत्राचार ठेकेदारों/बोलीदाताओं के साथ सीधे उनके द्वारा दी गई ईमेल-आईडी के माध्यम से किया जाएगा।
- नामांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को अपने खाते के लिए एक विशिष्ट यूजरनेम चुनना और पासवर्ड निर्धारित करना होगा।
- ई-निविदा के लिए वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (साइनिंग की उपयोग वाला क्लास II या क्लास III प्रमाणपत्र) रखना अनिवार्य है, जो ई-टोकन/स्मार्टकार्ड पर SIFY/nCode/eMudra या सीसीए इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी प्रमाणन प्राधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है।
- ई-निविदा के लिए सीपीपीपी पोर्टल पर नामांकन के बाद बोलीदाता अपना वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र अपनी प्रोफ़ाइल के साथ पंजीकृत करेंगे।
- एक बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डीएससी पंजीकृत किया जाना चाहिए। बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं कि वे अपना डीएससी दूसरों को उधार न दें, जिससे उसका दुरुपयोग हो सकता है, और उन्हें उसकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी चाहिए।
- इसके बाद बोलीदाता अपनी यूजर आईडी/पासवर्ड तथा डीएससी/ई-टोकन का पासवर्ड दर्ज करके सुरक्षित लॉगिन के माध्यम से साइट में प्रवेश कर सकते हैं।

2.2 निविदा दस्तावेज़ खोजना:

- सीपीपीपी पोर्टल में बोलीदाताओं की सुविधा के लिए अनेक खोज विकल्प उपलब्ध हैं, जिनसे वे सक्रिय निविदाओं को कई मापदंडों से खोज सकते हैं। इन मापदंडों में निविदा आईडी, संगठन का नाम, स्थान, तिथि, मूल्य आदि शामिल हो सकते हैं। निविदाओं की उन्नत खोज का विकल्प भी है, जिसमें बोलीदाता सीपीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किसी निविदा को खोजने के लिए संगठन का नाम, अनुबंध का प्रकार, स्थान, तिथि, अन्य कीवर्ड आदि जैसे कई खोज मापदंडों को मिला सकते हैं।
- जब बोलीदाता अपनी रुचि की निविदाएँ चुन लें, तो वे आवश्यक दस्तावेज़/निविदा अनुसूचियाँ डाउनलोड कर सकते हैं। इन निविदाओं को संबंधित ‘मेरी निविदाएँ’ फ़ोल्डर में रखा जा सकता है। इससे निविदा दस्तावेज़ में कोई शुद्धिपत्र जारी होने पर सीपीपीपी पोर्टल बोलीदाताओं को एसएमएस/ई-मेल द्वारा सूचित कर सकेगा।
- यदि बोलीदाता हेल्पडेस्क से कोई स्पष्टीकरण/सहायता प्राप्त करना चाहते हों, तो उन्हें प्रत्येक निविदा को सौंपी गई विशिष्ट निविदा आईडी नोट कर लेनी चाहिए।

2.3 बोली जमा करने की तैयारी:

तकनीकी-वाणिज्यिक बोली और मूल्य बोली <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> पर

ऑनलाइन जमा की जाएगी।

- i) बोली तैयार करने के लिए बोलीदाता साइट पर उपलब्ध प्रकाशित निविदा सूची में से निविदा खोजेंगे, संपूर्ण निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करेंगे तथा बोलियाँ जमा करने से पहले यदि कोई शुद्धिपत्र प्रकाशित हुआ हो तो उसे ध्यान में रखेंगे।
निविदा दस्तावेज़ चुनने के बाद उसे बोलीदाता के खाते के 'मेरा पसंदीदा' फ़ोल्डर में रखा जाएगा, जहाँ से बोलीदाता निविदा दस्तावेज़ का पूरा विवरण देख सकता है।
- ii) बोलीदाता निविदा दस्तावेज़ को ध्यानपूर्वक पढ़ेगा ताकि बोली के भाग के रूप में जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ों को समझ सके। बोलीदाता उन कवरों की संख्या, जिनमें बोली दस्तावेज़ जमा किए जाने हैं, तथा जमा किए जाने वाले दस्तावेज़ों की संख्या, प्रत्येक दस्तावेज़ के नाम और विषय-वस्तु सहित, नोट करेंगे। इनसे किसी भी प्रकार का विचलन बोली के अस्वीकृत होने का कारण बन सकता है।
- iii) यदि बोली-पूर्व कोई स्पष्टीकरण आवश्यक हो, तो वह निविदा साइट के माध्यम से ऑनलाइन या निविदा दस्तावेज़ में दिए गए संपर्क विवरण के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है।
- iv) बोलीदाताओं को निविदा दस्तावेज़/अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार आवश्यक प्रारूप (पीडीएफ/xls/rar/dwf/jpg) में बोली दस्तावेज़ पहले से तैयार रखने चाहिए। बोली दस्तावेज़ों को 100 डीपीआई पर श्वेत-श्याम विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है, जिससे स्कैन किए गए दस्तावेज़ का आकार कम करने में मदद मिलती है।
- v) बोलीदाता अनुभव प्रमाणपत्र, वार्षिक रिपोर्ट, पैर, ईपीएफ तथा अन्य विवरण जैसे दस्तावेज़ों को "मेरा स्थान/अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" विकल्प के अंतर्गत पहले से अद्यतन कर सकते हैं, जिन्हें निविदा की आवश्यकता के अनुसार जमा किया जा सकता है। इससे बोलियों के अपलोड का समय घटने से बोली जमा करने की प्रक्रिया तेज़ हो जाएगी।

2.4 बोलियाँ जमा करना:

- i) बोलीदाता बोली जमा करने के लिए साइट में पहले से लॉग इन कर लें, ताकि वह बोली समय पर, अर्थात् बोली जमा करने के समय तक या उससे पहले, अपलोड कर सके।
- ii) बोलीदाता निविदा शुल्क और ईएमडी एनआईटी/निविदा दस्तावेज़ में बताए गए निर्देशों के अनुसार तैयार करे। भौतिक रूप से भेजे गए डीडी/बीसी/बीजी/बीमा ज़मानत बॉण्ड का विवरण स्कैन की गई प्रति में उपलब्ध विवरण और बोली जमा करते समय दर्ज किए गए डेटा से मेल खाना चाहिए। अन्यथा अपलोड की गई बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- iii) बोलियाँ ऑनलाइन जमा करते समय बोलीदाता (सीपीपी पोर्टल के) नियम और शर्तें पढ़ेगा और आगे बोली जमा करने के लिए उन्हें स्वीकार करेगा।
- iv) बोलीदाता निविदा शुल्क/ईएमडी के भुगतान के लिए भुगतान विकल्प के रूप में ऑफ़लाइन चुनेंगे और डीडी/बीसी/बीजी/बीमा ज़मानत बॉण्ड का विवरण दर्ज करेंगे।
- v) बोलीदाता निविदा दस्तावेज़ में बताए अनुसार आवश्यक बोली दस्तावेज़ों पर एक-एक करके डिजिटल हस्ताक्षर करेगा और उन्हें अपलोड करेगा।
- vi) बोलीदाता ध्यान दें कि निविदा दस्तावेज़ डाउनलोड करने और अपनी प्रस्तुतियाँ अपलोड करने के लिए डीएससी का उपयोग करना ही इस बात की पुष्टि माना जाएगा कि उन्होंने निविदा दस्तावेज़ के सभी खंड और पृष्ठ बिना किसी अपवाद के पढ़ लिए हैं, संपूर्ण निविदा दस्तावेज़ को समझ लिया है और निविदा दस्तावेज़ की आवश्यकताओं के बारे में उन्हें पूरी स्पष्टता है।

- vii) बोली दस्तावेजों को 100 डीपीआई पर श्वेत-श्याम विकल्प के साथ स्कैन किया जा सकता है, जिससे स्कैन किए गए दस्तावेज का आकार कम करने में मदद मिलती है। 1 एमबी से कम आकार की फ़ाइल के लिए अपलोड का समय बहुत कम लगेगा।
- viii) यदि मूल्य उद्धरण XLS प्रारूप में अपेक्षित हों, तो मात्राओं और मूल्यों की अनुसूची अपलोड करते समय अत्यंत सावधानी बरती जाएगी, क्योंकि मूल्य अनुसूची में किसी भी प्रकार का परिवर्तन/संशोधन उसे बोली के लिए अनुपयुक्त बना देगा।
- बोलीदाता मात्रा-सूची (बिल ऑफ क्वांटिटीज़) को XLS प्रारूप में डाउनलोड करेंगे और फ़ाइल का नाम बदले बिना उसे सहेजेंगे। बोलीदाता उपयुक्त सेल में अंकों में अपनी दर भरेंगे, इसके बाद फ़ाइल को सहेजकर केवल वित्तीय बोली कवर (मूल्य बोली) में अपलोड करेंगे। यदि बोलीदाता द्वारा मात्रा-सूची फ़ाइल का टेम्पलेट संशोधित/दूषित पाया जाता है, तो बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी और निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी।
- ix) बोलीदाताओं को सावधान किया जाता है कि वित्तीय बोली को कवर-II के अलावा कहीं और अपलोड करने पर निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी।
- x) बोलीदाता अपनी बोलियाँ ऑनलाइन ई-निविदा प्रणाली के माध्यम से बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय (सर्वर सिस्टम घड़ी के अनुसार) से काफ़ी पहले निविदा आमंत्रण प्राधिकारी (टीआईए) को जमा करेंगे। अंतिम समय पर बोलीदाताओं द्वारा ऑनलाइन बोलियाँ जमा करने में होने वाली किसी भी प्रकार की देरी या कठिनाई के लिए टीआईए उत्तरदायी नहीं होगा।
- xi) बोली जमा करने के बाद (अर्थात पोर्टल पर “फ्रीज़ बिड सबमिशन” पर क्लिक करने के बाद) बोलीदाता सिस्टम द्वारा जनित पावती संख्या का प्रिंटआउट लेंगे और उसे ऑनलाइन बोली जमा करने के साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड में रखेंगे, जो बोली खोलने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रवेश पास का भी काम करेगा।
- xii) बोलीदाताओं को निविदा साइट के शीर्ष पर बोलीदाता के डैशबोर्ड पर प्रदर्शित सर्वर समय का पालन करना चाहिए, जो ई-निविदा प्रणाली में अनुरोध, बोली जमा करने, बोली खोलने आदि सभी कार्यों के लिए मान्य होगा।
- xiii) बोलीदाताओं द्वारा जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेज डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए पीकेआई (पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर) एन्क्रिप्शन तकनीकों से एन्क्रिप्ट किए जाएंगे। दर्ज किया गया डेटा बोली खुलने के समय तक अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। बोलियों की गोपनीयता सिक्वोर सॉकेट लेयर 128 बिट एन्क्रिप्शन तकनीक से बनाए रखी जाती है।
- xiv) बोली जमा करने के बाद बोलीदाता बोली जमा करने की निर्धारित अंतिम समय-सीमा से पहले कितनी भी बार संशोधित बोली पुनः जमा कर सकता है। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोलियाँ वापस न लें, क्योंकि एक बार बोली वापस लेने के बाद वे उसी निविदा में दोबारा भाग नहीं ले सकते।

2.5 बोलीदाताओं को सहायता:

- निविदा दस्तावेज और उसमें निहित नियम व शर्तों से संबंधित कोई भी प्रश्न निविदा के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में बताए गए संबंधित संपर्क व्यक्ति को संबोधित किए जाने चाहिए।
- ऑनलाइन बोली जमा करने की प्रक्रिया से संबंधित या सामान्यतः सीपीपी पोर्टल से संबंधित कोई भी प्रश्न 24X7 सीपीपी पोर्टल हेल्पडेस्क नंबर 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787 पर पूछे जा सकते हैं।

2.6 बोलीदाताओं के लिए चार प्रमुख निर्देश:

निम्नलिखित 'बोलीदाताओं के लिए चार प्रमुख निर्देश' का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए:-

- i) निविदा जमा करने की अंतिम समय-सीमा से काफ़ी पहले व्यक्तिगत डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी या डीसी) प्राप्त करें।
- ii) निविदा जमा करने की अंतिम समय-सीमा से काफ़ी पहले अपने संगठन को सीपीपीपी पर पंजीकृत करें।
- iii) निविदा जमा करने की अंतिम समय-सीमा से काफ़ी पहले अपने संगठन के संबंधित अधिकारियों को सीपीपीपी पर प्रशिक्षित करवाएँ।
- iv) निविदा जमा करने की अंतिम समय-सीमा से काफ़ी पहले पोर्टल पर अपनी बोलियाँ जमा करें (इंटरनेट टाइमआउट, खराबी आदि के कारण अंतिम समय में समस्याएँ आ सकती हैं)। उपर्युक्त पहले तीन निर्देश विशेष रूप से पोर्टल के पहली बार उपयोग करने वालों के लिए प्रासंगिक हैं, जबकि चौथा निर्देश हर समय प्रासंगिक है।

नोट: इलेक्ट्रॉनिक खरीद प्रणाली निर्धारित तिथि और समय की समाप्ति के बाद किसी भी बोलीदाता को अपनी बोली लगाने की अनुमति नहीं देगी। बैंडविड्थ, कनेक्टिविटी आदि से संबंधित किसी भी देरी/समस्या के लिए, जो एनएचपीसी/एनआईटी/सीपीपीपी के नियंत्रण से बाहर हैं, एनएचपीसी/एनआईटी/सीपीपीपी उत्तरदायी नहीं होंगे।

3. पात्र बोलीदाता

3.1.1 (क) वे बोलीदाता जो निगमित विधिक इकाई हैं, विधिक और वित्तीय रूप से स्वायत्त हैं तथा भारत में अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के वाणिज्यिक कानून के अंतर्गत कार्य करते हैं।

(ख) जिन बोलीदाताओं ने निविदा शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उनकी बोलियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3.1.2 बोलीदाता बोली जमा करते समय सत्यनिष्ठा समझौते (आईटीबी के उप-खंड 2.3) के अनुलग्नक-क के रूप में दिए गए व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध संबंधी दिशानिर्देशों के पैरा 6 में उल्लिखित आधार पर प्रतिबंध/सूची से हटाए जाने/काली सूची में डाले जाने/व्यवसाय से वंचित किए जाने के कारण अपात्रता की घोषणा के अंतर्गत नहीं होंगे, और बोली जमा करने के बाद निविदा के प्रदान किए जाने तक ऐसे किसी भी प्रतिबंध/सूची से हटाए जाने/काली सूची में डाले जाने/व्यवसाय से वंचित किए जाने की सूचना तुरंत देंगे। इस संबंध में स्व-घोषणा संलग्न प्रोफार्मा (खंड-5: फॉर्म एवं प्रक्रियाएँ का संलग्नक-7) के अनुसार जमा की जाएगी।

3.1.3 जिस बोलीदाता को नियोक्ता द्वारा स्वामी के साथ पूर्व के समान प्रकृति के अनुबंध(ओं) में असंतोषजनक निष्पादन के कारण अपात्र घोषित किया गया है, उसे अपात्रता अवधि पूरी होने तक पात्र बोलीदाता नहीं माना जाएगा।

3.1.4 बोलीदाता(ओं) को, जब तक आईटीबी में अन्यथा न कहा गया हो, अपनी बोलियों के साथ अर्हता सूचना में निम्नलिखित जानकारी और दस्तावेज़ शामिल करने होंगे:

- a) संविधान या विधिक स्थिति, पंजीकरण के स्थान और व्यवसाय के मुख्य स्थान को दर्शाने वाले मूल दस्तावेज़ों की प्रतियाँ; बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को बोलीदाता को प्रतिबद्ध करने का लिखित मुख्तारनामा। पात्रता फॉर्म-1 'सामान्य जानकारी', आईटीबी में माँगी गई अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की जाएगी;

- b) आईटीबी के खंड 2.2 में निर्धारित मानदंडों की पूर्ति दर्शाने वाला कार्य अनुभव आईटीबी के पात्रता/अर्हता फॉर्म - 2, 2ए, 2बी, 3, 3ए, 3ए1, 3ए2, 4ए और 4बी में प्रदान किया जाएगा। दर्शाया गया विशिष्ट अनुभव संबंधित कार्य के स्वामी/नियोक्ता/ग्राहक के प्रमाणपत्र(ों) द्वारा समर्थित होना चाहिए।
- c) आईटीबी के खंड 2 में निर्धारित वित्तीय मानदंडों की जानकारी आईटीबी के पात्रता फॉर्म-6 में प्रस्तुत की जाएगी। बोलीदाता द्वारा वित्तीय मानदंडों की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उनके समर्थन में दस्तावेज़ी साक्ष्य जमा किए जाएंगे।
- d) अन्य अपेक्षित जानकारी आईटीबी के पात्रता फॉर्म-5, 5ए, 7 और 8 में प्रस्तुत की जाएगी।
- e) यदि ठेकेदारों द्वारा निजी संगठनों के लिए निष्पादित कार्यों के अनुभव प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, तो अनुभव प्रमाणपत्र के साथ टीडीएस प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किए जाएंगे।
- 3.1.5 राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत, संवेदनशील क्षेत्र और सीमावर्ती इलाकों में स्थित परियोजना में, नियोक्ता किसी भी रूप में भाग लेने वाली कंपनियों और उनके कर्मचारियों पर कुछ प्रतिबंध लगा सकता है। नियोक्ता ऐसी कंपनी को अर्हता प्रदान करने से पहले सुरक्षा निहितार्थों के संबंध में भारत सरकार की मंजूरी प्राप्त करेगा। बोलीदाताओं को पात्रता फॉर्म-1ए में दिए गए प्रारूप के अनुसार सुरक्षा मंजूरी के लिए कंपनी की जानकारी प्रदान करनी होगी।

3.2 अर्हता मानदंड

अर्हता यहाँ निर्धारित और उल्लिखित अर्हता मानदंडों की बोलीदाता द्वारा पूर्ति पर निर्भर होगी, जो प्रामाणिक और प्रासंगिक जानकारी और विवरण से प्रमाणित हो। अपनी उपलब्धियों के दावों के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी अपनी इच्छानुसार किसी भी रूप और प्रारूप में दी जा सकती है। उक्त कार्य के लिए निविदा में आवेदन करने के इच्छुक बोलीदाताओं को निम्नलिखित अर्हता मानदंड पूरे करने होंगे:

3.2.1 सामान्य अनुभव:

पिछले 20 वर्षों में निम्नलिखित मूल्य के पूर्ण किए गए कार्य के साथ, मुख्य ठेकेदार के रूप में, या संयुक्त उद्यम में भागीदार के रूप में, या नियोक्ता द्वारा अनुमोदित उप-ठेकेदार के रूप में, हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य को काफ़ी हद तक पूर्ण रूप से निष्पादित करने का अनुभव:

1. अनुमानित लागत के 80% से कम नहीं, अर्थात 105 करोड़ रुपये मूल्य का एक हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य, अथवा
2. प्रत्येक अनुमानित लागत के 50% से कम नहीं, अर्थात 66 करोड़ रुपये मूल्य के दो हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य, अथवा
3. प्रत्येक अनुमानित लागत के 40% से कम नहीं, अर्थात 52 करोड़ रुपये मूल्य के तीन हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य।

ऐसे कार्य, जिनका भुगतान भारतीय रुपये के अतिरिक्त किसी अन्य मुद्रा में प्राप्त हुआ हो, उन्हें पूर्णता प्रमाणपत्र में उल्लिखित पूर्णता तिथि पर उस मुद्रा और भारतीय रुपये के बीच प्रचलित विनिमय दर लागू करके भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा, और यदि पूर्णता प्रमाणपत्र में पूर्णता का केवल माह उल्लिखित है, तो उस माह के अंतिम कार्य-दिवस की विनिमय दर ली जाएगी। भारतीय रुपये में अथवा उपर्युक्त प्रकार से किसी अन्य मुद्रा से भारतीय रुपये में परिवर्तित कार्य के मूल्य में बोली खुलने की तिथि तक 7% प्रति वर्ष की साधारण दर से वृद्धि की जाएगी।

3.2.2 विशिष्ट अनुभव: पिछले 20 वर्षों में, या तो स्वयं बोलीदाता कंपनी द्वारा या प्रस्तावित विनिर्माता(ओं) द्वारा, जिन्होंने बोलीदाता को अपेक्षित प्रारूप में प्राधिकृत किया है, नीचे दी गई क्षमता वाली निम्नलिखित हाइड्रो-मैकेनिकल मदों के डिज़ाइन, विनिर्माण, संस्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग से संबंधित पूर्ण किए गए कार्यों का सफल अनुभव।

i) प्रेशर शाफ्ट/पेनस्टॉक के लिए स्टील लाइनर:

$DXH \geq 712$ मी² वाले प्रेशर शाफ्ट के स्टील लाइनर का डिज़ाइन, निर्माण/विनिर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग।

“D” स्टील लाइनर के अधिकतम आंतरिक व्यास को मीटर में दर्शाता है

“H” अधिकतम डिज़ाइन शीर्ष (हेड) को मीटर में दर्शाता है

ii) ऊर्ध्वाधर उत्तोलक गेट (वर्टिकल लिफ्ट गेट):

हाइड्रोलिक होइस्ट या रोप ड्रम होइस्ट द्वारा संचालित, $AXH \geq 1251$ मी³ वाले फिक्स्ड व्हील प्रकार के वर्टिकल लिफ्ट गेट का डिज़ाइन, विनिर्माण, संस्थापन, परीक्षण और कमीशनिंग।

“A” एक गेट के लिए क्षेत्रफल (स्पष्ट चौड़ाई गुणा स्पष्ट ऊँचाई) को मी² में दर्शाता है।

“स्पष्ट चौड़ाई” दो आमने-सामने के पियरों की भीतरी सतहों के बीच की दूरी को दर्शाती है

“H” गेट के तल पर सामान्य डिज़ाइन शीर्ष (हेड) को मीटर में दर्शाता है

नोट:

1. बोलीदाता ने पिछले 20 वर्षों के दौरान किसी काफ़ी हद तक पूर्ण/पूर्ण हो चुकी परियोजना में, निविदाकृत कार्य पैकेज में शामिल समान प्रकृति और परिमाण के एक या अधिक कार्य निष्पादित किए होने चाहिए।
2. 20 वर्ष की अवधि पर विचार करने के लिए संदर्भ तिथि उस माह के पिछले माह के अंतिम दिन से गिनी जाएगी, जिसमें निविदा आमंत्रित की गई है।
3. प्रेशर शाफ्ट/पेनस्टॉक के स्टील लाइनर के डिज़ाइन का कार्य अनुभव तथा प्रेशर शाफ्ट/पेनस्टॉक के स्टील लाइनर के निर्माण/विनिर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य अनुभव अलग-अलग परियोजनाओं से हो सकता है।
4. फिक्स्ड व्हील प्रकार के वर्टिकल लिफ्ट गेट के डिज़ाइन का कार्य अनुभव तथा फिक्स्ड व्हील वर्टिकल लिफ्ट गेट के विनिर्माण, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग का कार्य अनुभव अलग-अलग परियोजनाओं से हो सकता है।
5. पर्याप्त पूर्णता (सब्सैशियल कम्प्लीशन) वह स्थिति है जब कार्य इस प्रकार पूर्ण हो कि नियोक्ता उसमें अधिभोग और उसका उस प्रयोजन के लिए उपयोग कर सके जिसके लिए वह अभिप्रेत है। पर्याप्त पूर्णता अनुबंध के अंतर्गत 80 (अस्सी) प्रतिशत (मूल्य के अनुसार) या उससे अधिक कार्य के पूर्ण होने पर आधारित होगी। जिन अनुबंधों में बोलीदाता ने संयुक्त उद्यम सदस्य या उप-ठेकेदार के रूप में भाग लिया है, उनमें इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए केवल मूल्य के अनुसार बोलीदाता का हिस्सा ही गिना जाएगा।

6. संयुक्त उद्यम आधार पर निष्पादित कार्य के लिए बोलीदाता के विशिष्ट अनुभव का मूल्यांकन ऐसे संयुक्त उद्यमों में उसकी भूमिका और कार्य के दायरे पर आधारित होगा। ऐसे संयुक्त उद्यम अनुबंधों में अपनी भूमिका और कार्य का दायरा सिद्ध करने के लिए बोलीदाता को अपने दावा किए गए अनुभव की सीमा तक दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रदान करना होगा। यदि अनुभव प्रमाणपत्र के अनुसार कार्य की मात्रा संयुक्त उद्यम करार में परिभाषित कार्य के दायरे से मेल नहीं खाती, तो अनुभव संबंधी साख को नियोक्ता/ग्राहक द्वारा जारी अनुभव प्रमाणपत्र के अनुसार माना जाएगा।
 7. यदि संयुक्त उद्यम करार में अलग-अलग भागीदारों के कार्य का दायरा स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, तो संयुक्त उद्यम में भागीदार बोलीदाताओं की साख का निर्धारण निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा:
 - a) जहाँ संयुक्त उद्यम के अलग-अलग भागीदारों के संबंध में विशिष्ट अनुभव प्रमाणपत्र उपलब्ध है, वहाँ उसे उस संयुक्त उद्यम भागीदार द्वारा निष्पादित कार्य की सीमा तक माना जाएगा।
 - b) जहाँ विशिष्ट अनुभव प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है, या अनुभव प्रमाणपत्र संयुक्त उद्यम के नाम पर जारी किया गया है, वहाँ मूल्यांकन निम्नलिखित प्रकार से किया जाएगा: -
 - i) यदि संयुक्त उद्यम करार के अनुसार बोलीदाता की भागीदारी/लाभ-साझेदारी का प्रतिशत कम से कम 35% है, तो ऐसे बोलीदाता को संयुक्त उद्यम द्वारा निष्पादित कार्य का पूरा श्रेय दिया जाएगा।
 - ii) यदि संयुक्त उद्यम करार में बोलीदाता की भागीदारी/लाभ-साझेदारी का प्रतिशत 35% से कम है, तो ऐसे बोलीदाता को ऐसे संयुक्त उद्यम के अंतर्गत निष्पादित कार्य का कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा।
 - iii) उपर्युक्त (i) और (ii) के होते हुए भी, विशिष्ट अनुभव प्रमाणपत्र उपलब्ध होने की स्थिति में उपर्युक्त (क) लागू होगा।
- यदि संयुक्त उद्यम करार में भागीदारी हिस्सा और लाभ-साझेदारी अनुपात दोनों उपलब्ध हैं, तो भागीदारी हिस्सा प्रभावी होगा।
8. उप-ठेकेदार के माध्यम से निष्पादित कार्य के भाग के लिए, बोलीदाता के विशिष्ट अनुभव के मूल्यांकन के मानदंडों की पूर्ति हेतु ठेकेदार तथा उप-ठेकेदार दोनों उस भाग के कार्य का पूरा अनुभव दावा कर सकते हैं।
 9. बोलीदाता के संस्थापन परीक्षण और कमीशनिंग के पर्यवेक्षण के अनुभव को भी एचएम उपकरणों की स्वयं की संस्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग के बराबर माना जाएगा।
 10. उपर्युक्त 3.2.2(i) और 3.2.2(ii) के समर्थन में बोलीदाता को उपकरण के क्रेता/स्वामी द्वारा जारी, कमीशनिंग की तिथि से कम से कम 2 वर्ष का निष्पादन/सफल संचालन प्रमाणपत्र की प्रति प्रदान करनी चाहिए।

3.2.3 वित्तीय क्षमता:

(i) वार्षिक कारोबार (टर्नओवर):

बोलीदाता का, ठीक पूर्ववर्ती लगातार दो (2) वित्तीय वर्षों के लिए, (जीएसटी को छोड़कर) न्यूनतम औसत वार्षिक कारोबार 44 करोड़ रुपये होना चाहिए।

(ii) निवल मूल्य (नेट वर्थ):

बोलीदाता का पिछले 03 वित्तीय वर्षों में से कम से कम 02 वित्तीय वर्षों में “निवल मूल्य” धनात्मक होना चाहिए, इस शर्त के साथ कि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में निवल मूल्य धनात्मक हो।

‘निवल मूल्य’ का अर्थ है, लेखा-परीक्षित तुलन पत्र के अनुसार, चुकता शेयर पूँजी, लाभ से सृजित सभी आरक्षित निधियों, प्रतिभूति प्रीमियम खाते तथा लाभ-हानि खाते के डेबिट या क्रेडिट शेष का कुल मूल्य, जिसमें से संचित हानियों, आस्थगित व्यय और अलिखित विविध व्यय का कुल मूल्य घटा दिया गया हो, किंतु इसमें परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन, मूल्यहास की वापसी-लेखन तथा समामेलन से सृजित आरक्षित निधियाँ शामिल नहीं हैं।

आकलन के लिए, निवल मूल्य के आँकड़े वाले वार्षिक रिपोर्ट के प्रासंगिक पृष्ठ, जो बोलीदाताओं के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत प्रमाणित हों, अन्यथा वे आँकड़े जो सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा विधिवत सत्यापित हों, जमा किए जाने चाहिए।

(iii) कार्यशील पूँजी:

कार्यशील पूँजी (चालू परिसंपत्तियाँ घटा चालू देनदारियाँ) मासिक नकदी प्रवाह आवश्यकता की कम से कम 2 (दो) गुना होगी। बोलीदाता की न्यूनतम कार्यशील पूँजी 6.9 करोड़ रुपये से कम नहीं होगी।

इस प्रयोजन के लिए चालू परिसंपत्तियाँ और चालू देनदारियाँ उसी प्रकार मानी जाएँगी जैसा ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लेखा-परीक्षित तुलन पत्र/समतुल्य वित्तीय विवरण, लाभ-हानि विवरण सहित, में वर्गीकृत है। यदि ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष का लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण उपलब्ध नहीं है, तो बोलीदाता ये विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित करके जमा करेगा।

नोट:

- i) वार्षिक कारोबार निकालने के लिए अन्य आय पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ii) उपर्युक्त निर्धारित आवश्यकता के संदर्भ में बोलीदाता का वित्तीय मूल्यांकन, बोलीदाता द्वारा बोली के साथ जमा की गई ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की विधिवत मुद्रित (ऑफ़सेट) वार्षिक रिपोर्ट/समतुल्य वित्तीय विवरण के आधार पर किया जाएगा। यदि बोली जमा करने की तिथि 30 सितंबर तक पड़ती है, तो ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष से पिछले वर्ष तक की वार्षिक रिपोर्ट/समतुल्य वित्तीय विवरण पर विचार किया जाएगा, और जिन निविदाओं में बोली जमा करने की तिथि सितंबर के बाद है, उनके लिए ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष तक की वार्षिक रिपोर्ट/समतुल्य वित्तीय विवरण पर विचार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बोलीदाता का एकल लेखा-परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण वार्षिक रिपोर्ट/समतुल्य वित्तीय विवरण का भाग होगा।

यदि बोलीदाता ने उपर्युक्त वार्षिक रिपोर्ट/समतुल्य वित्तीय विवरण बोली के साथ जमा नहीं किया है, तो बोली के साथ बोलीदाता के सीईओ/सीएफओ का एक प्रमाणपत्र जमा किया जाएगा, जिसमें यह उल्लेख हो कि देश के प्रचलित कानून के अनुसार ऐसे बोलीदाताओं के लिए वार्षिक रिपोर्ट की आवश्यकता अनिवार्य नहीं है, और ऐसे मामलों में समतुल्य वित्तीय विवरण पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामलों में बोलीदाता बोली के साथ ठीक पूर्ववर्ती तीन (3) वर्षों के लेखा-परीक्षित मुद्रित वार्षिक वित्तीय विवरण (तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण, नकदी प्रवाह विवरण, उस पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट, सभी संबंधित अनुसूचियों/अनुलग्नकों आदि सहित) की विधिवत नोटरीकृत प्रतियाँ जमा करेगा।

वार्षिक वित्तीय विवरण पर मूल्यांकन के लिए उसी प्रकार विचार किया जाएगा जैसा वार्षिक रिपोर्ट/समतुल्य वित्तीय विवरण के विचार के लिए उपर्युक्त पैरा में परिभाषित है।

- iii) जहाँ ठीक पूर्ववर्ती वर्ष के लेखा-परीक्षित वित्तीय परिणाम उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की समाप्ति तिथि के अनुसार कारोबार और निवल मूल्य (निर्धारित मानदंडों के अनुसार परिकलित) दर्शाने वाला खाता-विवरण, जो सांविधिक लेखा-परीक्षा करने वाले उनके सांविधिक लेखा-परीक्षक/प्रमाणित लोक लेखाकार (सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, सांविधिक लेखा-परीक्षक के नियुक्ति पत्र की प्रति सहित बोली के साथ संलग्न किया जाएगा। प्रमाणपत्र राजपत्र अधिसूचना सं. 1-सीए (7)/192/2019 दिनांक 02.08.2019 के अनुसार विशिष्ट दस्तावेज़ पहचान संख्या (यूडीआईएन) के साथ या प्रमाणित लोक लेखाकारों को उनके संबंधित संस्थान द्वारा जारी किसी अन्य दस्तावेज़ पहचान संख्या के साथ, यदि लागू हो, जारी किया जाना चाहिए।
- iv) जहाँ वार्षिक रिपोर्ट/लेखा-परीक्षित मुद्रित वार्षिक वित्तीय विवरण की विधिवत नोटरीकृत प्रतियाँ अंग्रेज़ी के अलावा किसी अन्य भाषा में हों, वहाँ अंग्रेज़ी भाषा में विधिवत अनूदित और मुद्रित प्रति, जो अनुमोदित/मान्यता प्राप्त अंग्रेज़ी अनुवादक द्वारा प्रमाणित हो, बोली के साथ जमा की जाएगी।
- v) वित्तीय विवरणों पर सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई अर्हता (क्वालिफिकेशन), जिसका निवल मूल्य, कारोबार, कार्यशील पूँजी या किसी अन्य वित्तीय मद पर प्रभाव पड़ता है, उसे अर्हता मानदंडों के उपर्युक्त वित्तीय मापदंडों की गणना करते समय ध्यान में रखा जाएगा।
- vi) अमेरिकी डॉलर में रूपांतरण के लिए संबंधित लेखा वर्ष के अंत की विनिमय दर पर विचार किया जाएगा।
- vii) वित्तीय मानदंड में दिए गए निर्धारित कारोबार मानदंड के अनुपालन के प्रयोजन से, संयुक्त उद्यम करार में घोषित संयुक्त उद्यम(ओं) के प्रासंगिक कारोबार पर भी विचार किया जाएगा।

यदि आनुपातिक संयुक्त उद्यम कारोबार लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण में दिखाई नहीं देता है, तो उसे उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।

3.2.4 बोली क्षमता:

मूल्य बोली जमा करने के समय बोलीदाता की उपलब्ध बोली क्षमता, जिसकी गणना नीचे दिए अनुसार की गई हो, 131.23 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

$$\text{उपलब्ध बोली क्षमता} = (2.0 \times A \times N) - B,$$

जहाँ;

A = पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी एक वर्ष में निष्पादित कार्यों (चालू या पूर्ण परियोजना में) के अधिकतम मूल्य का सूचकांकित मूल्य, जिसे वर्तमान मूल्य स्तर पर 'A' की गणना के लिए मुद्रास्फीति सूचकांक 6% (वार्षिक चक्रवृद्धि) रखकर निकाला गया हो।

N = संबंधित अनुबंध पैकेज की पूर्णता के लिए निर्धारित वर्षों की संख्या (अर्थात 38/12 वर्ष)।

B = विद्यमान प्रतिबद्धताओं (बोली जमा करने की अंतिम तिथि के अनुसार) और चालू कार्यों का मूल्य, जिन्हें अगले 'N' वर्षों (अर्थात 38/12 वर्ष) में पूरा किया जाना है।

बोली क्षमता का आकलन बोली जमा करने के समय किया जाएगा और वह कार्य की अनुमानित लागत से कम नहीं होनी चाहिए।

बोलीदाता ऊपर उल्लिखित 'A' और 'B' को स्थापित करने के समर्थन में अपने सांविधिक लेखा-परीक्षकों का प्रमाणपत्र अपनी बोली के साथ जमा करेगा।

3.2.5 किसी भी दिवालिया फर्म की बोलियाँ:

जिस बोलीदाता या संयुक्त उद्यम के भागीदार के विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016, या समय-समय पर यथा-संशोधित, के अंतर्गत निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आवेदन स्वीकार किया गया है, वह बोली लगाने के लिए पात्र नहीं होगा। यह उस बोलीदाता कंपनी पर भी लागू होगा जिसने अपनी मूल/होल्टिंग कंपनी से बिना शर्त तकनीकी और/या वित्तीय सहायता ली है, जिसके विरुद्ध दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016, या समय-समय पर यथा-संशोधित (इसके बाद आईबीसी 2016), के अंतर्गत निर्णायक प्राधिकारी द्वारा कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का आवेदन स्वीकार किया गया है।

यदि बोली जमा करते समय किसी बोलीदाता या संयुक्त उद्यम के भागीदार के संबंध में कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने का कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया गया था, किंतु बाद में बोलियों के मूल्यांकन की अवधि के दौरान या कार्य प्रदान किए जाने से पहले किसी भी समय ऐसा कोई आवेदन आईबीसी 2016 के अंतर्गत निर्णायक प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, तो बोलीदाता को अपात्र माना जाएगा और उसकी बोली अस्वीकृत कर दी जाएगी।

बोलीदाता या संयुक्त उद्यम के भागीदार के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित, लेटरहेड पर एक वचनपत्र जमा किया जाएगा कि "आईबीसी 2016 के अंतर्गत निर्णायक प्राधिकारी द्वारा बोलीदाता या संयुक्त उद्यम के भागीदार के विरुद्ध कोई दिवाला कार्यवाही स्वीकार नहीं की गई है"।

इसके अतिरिक्त, बोली जमा करने के बाद कार्य प्रदान किए जाने के समय तक, बोलीदाता आईबीसी 2016 के अंतर्गत निर्णायक प्राधिकारी द्वारा बोलीदाता या संयुक्त उद्यम के भागीदार के विरुद्ध कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के किसी भी आवेदन के स्वीकार किए जाने की सूचना एनएचपीसी को देगा, और ऐसे तथ्य को छिपाने पर बोलीदाता की बोली अस्वीकृत होने तथा सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध संबंधी दिशानिर्देशों के नियम और शर्तों के अनुसार व्यावसायिक लेन-देन पर प्रतिबंध का पात्र होगा।

3.2.6 बोलीदाताओं का स्वरूप

बोलीदाता या तो एकल ठेकेदार/विनिर्माता(ओं) के साथ सहयोग में एकल ठेकेदार/इस परियोजना की निविदा में भाग लेने के लिए गठित संयुक्त उद्यम होना चाहिए।

3.2.7 संयुक्त उद्यम:

संयुक्त उद्यम को निम्नलिखित न्यूनतम अर्हता आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा:

संयुक्त उद्यम में प्रमुख भागीदार सहित भागीदारों की संख्या 2 (दो) से अधिक नहीं होगी।

i) प्रमुख भागीदार निम्नलिखित को पूर्णतः पूरा करेगा:

- पैरा 3.2.1 के अंतर्गत निर्दिष्ट हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य के लिए सामान्य अनुभव मानदंड

- पैरा 3.2.2(i) या 3.2.2(ii) के अंतर्गत निर्दिष्ट हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के लिए विशिष्ट अनुभव मानदंड।
 - औसत वार्षिक कारोबार वित्तीय क्षमता के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंड के 50% से कम नहीं।
 - कार्यशील पूँजी मानदंड
- ii) अन्य भागीदार व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित को पूरा करेगा:
- हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के लिए वह विशिष्ट अनुभव मानदंड जो प्रमुख भागीदार द्वारा पूरे नहीं किए गए हों।
 - औसत वार्षिक कारोबार वित्तीय क्षमता के अंतर्गत निर्दिष्ट मानदंड के 20% से कम नहीं
- iii) प्रत्येक घटक संरचना का विशिष्ट अनुभव प्रमुख भागीदार और/या अन्य भागीदार, जैसा भी मामला हो, द्वारा व्यक्तिगत रूप से पूरा किया जाएगा।
- iv) संयुक्त उद्यम के सभी भागीदार दस्तावेज़ में निर्दिष्ट निवल मूल्य मानदंड को व्यक्तिगत रूप से पूरा करेंगे।
- v) संयुक्त उद्यम समग्र रूप से निर्दिष्ट वित्तीय तथा तकनीकी आवश्यकताओं को सामूहिक रूप से पूरा करेगा।
- vi) 'बोली क्षमता' की आवश्यकता संयुक्त उद्यम के प्रत्येक भागीदार द्वारा संयुक्त उद्यम में कार्य के उनके भागीदारी हिस्से के अनुपात में पूरी की जाएगी।
- vii) पक्षकारों को बोली जमा करने से पहले संयुक्त उद्यम का गठन करना होगा, जिसका प्रमाण इस प्रयोजन के लिए पहले से किए गए संयुक्त उद्यम करार की प्रति जमा करके दिया जाएगा। संयुक्त उद्यम करार में प्रत्येक घटक की भूमिका और उत्तरदायित्व, प्रत्येक भागीदार का प्रस्तावित भागीदारी हिस्सा तथा प्रत्येक भागीदार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले कार्य की मदें शामिल होनी चाहिए। संयुक्त उद्यम करार में यह भी उल्लेख किया जाएगा कि यदि अनुबंध संयुक्त उद्यम को प्रदान किया जाता है, तो संयुक्त उद्यम का प्रत्येक भागीदार उस कार्य की मद के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके लिए वह विशिष्ट अनुभव का दावा करता है।
- viii) संयुक्त उद्यम के प्रमुख भागीदार का कम से कम 50% हिस्सा होना चाहिए।

3.2.8 विनिर्माताओं के साथ बोलीदाता:

बोलीदाता उन निर्दिष्ट गतिविधियों के लिए विनिर्माता(ओं) को सहयोगी बना सकते हैं जिनमें उनके पास प्रासंगिक अनुभव नहीं है। ऐसे बोलीदाता द्वारा पूरे किए जाने वाले मानदंड निम्नलिखित होंगे: -

- (i) बोलीदाता स्वयं निम्नलिखित को पूर्णतः पूरा करेगा:
- पैरा 3.2.1 के अंतर्गत निर्दिष्ट हाइड्रो-मैकेनिकल कार्य के लिए सामान्य अनुभव मानदंड
 - पैरा 3.2.2(i) या 3.2.2(ii) के अंतर्गत निर्दिष्ट हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के लिए विशिष्ट अनुभव मानदंड।
 - पैरा 3.2.3 में उल्लिखित सभी मानदंड,
- (ii) बोलीदाता हाइड्रो-मैकेनिकल कार्यों के उन विशिष्ट अनुभव मानदंडों के लिए विनिर्माता प्रस्तावित कर सकता है जिन्हें बोलीदाता स्वयं पूरा नहीं करता।

- (iii) बोलीदाता और उसके विनिर्माता(ओं) को अलग-अलग वचनपत्र जमा करने होंगे कि बोलीदाता/विनिर्माता(ओं) उस कार्य की मद के निष्पादन के लिए उत्तरदायी होंगे जिसके लिए वे विशिष्ट अनुभव का दावा करते हैं।
- (iv) बोलीदाता और उसके प्रस्तावित विनिर्माता(ओं) को सामूहिक रूप से सभी निर्दिष्ट अनुभव आवश्यकताओं को समग्र रूप से पूरा करना होगा।
- (v) कार्य प्रदान किए जाने पर बोलीदाता द्वारा संपूर्ण अनुबंध के लिए जमा की जाने वाली निष्पादन बैंक गारंटी/बीमा जमानत बॉण्ड के अतिरिक्त, विनिर्माता उप-ठेके पर दिए गए कार्य के मूल्य के 5% के बराबर बैंक गारंटी/बीमा जमानत बॉण्ड के रूप में निष्पादन प्रतिभूति जमा करेगा।

3.2.9 विलयित/अधिग्रहीत/सहायक कंपनियों द्वारा आवेदन/बोलियाँ:

अन्य कंपनियों के विलय और/या अधिग्रहण के बाद गठित बोलीदाता कंपनी के मामले में, विलयित/अधिग्रहीत कंपनियों के पूर्व अनुभव और अन्य पूर्ववृत्त पर ऐसी बोलीदाता कंपनी की अर्हता के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते ऐसी बोलीदाता कंपनी निविदाकृत कार्य पैकेज के निष्पादन और सफल कार्यान्वयन के लिए आवश्यक, विलयित/अधिग्रहीत कंपनियों की अपेक्षित परिसंपत्तियों और संसाधनों की स्वामी बनी रहे।

इसी प्रकार, यदि बोलीदाता कंपनी एक सहायक कंपनी है और मूल/होल्टिंग कंपनी की बिना शर्त तकनीकी और वित्तीय सामर्थ्य के आधार पर पूर्व-अर्हता के लिए आवेदन करती है, तो उस पर विचार किया जाएगा, बशर्ते मूल/होल्टिंग कंपनी एनएचपीसी के साथ एक पृथक करार (फॉर्म-13 के अनुसार) पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिबद्ध हो, जिसमें सहायक कंपनी की तकनीकी और वित्तीय आवश्यकताओं के लिए पूर्ण सहयोग की पुष्टि हो, और बोलीदाता सहायक कंपनी को कार्य प्रदान किए जाने की स्थिति में सहायक कंपनी द्वारा निष्पादन न किए जाने पर कार्य स्वयं करने के लिए प्रतिबद्ध हो। इस आशय का मूल/होल्टिंग कंपनी का वचनपत्र बोली के साथ (बोली फॉर्म के संलग्नक-12 के अनुसार) जमा किया जाएगा। मूल/होल्टिंग कंपनी की सामर्थ्य के आधार पर पूर्व-अर्हता प्राप्त करने के इच्छुक सहायक कंपनी को 'विनिर्माता' के रूप में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस खंड में उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, 'मूल कंपनी' का अर्थ उस 'होल्टिंग कंपनी' से होगा जो ऐसी बोलीदाता (सहायक) कंपनी के बहुमत (50% से अधिक) शेयरों की स्वामी है। इसी प्रकार इस व्याख्या के विस्तार से, यदि "क" का स्वामित्व 'होल्टिंग कंपनी' "ख" के पास है, जिसका स्वामित्व आगे किसी अन्य 'होल्टिंग कंपनी' "ग" के पास है, तो "ग" को "क" की भी 'मूल कंपनी' माना जाएगा, और इसी प्रकार आगे भी। कोई शीर्ष 'मूल कंपनी' अनेक स्वतंत्र सहायक/समूह कंपनियों की स्वामी हो सकती है, और यदि इनमें से कोई सहायक/समूह कंपनी उसी शीर्ष 'मूल कंपनी' के अधीन किसी अन्य सहायक/समूह कंपनी (इस मामले में बोलीदाता) को अपनी परिसंपत्तियों और संसाधनों तक सुनिश्चित सहयोग और निर्बाध पहुँच देने के लिए प्रतिबद्ध होती है, तो ऐसी सहायक/समूह कंपनी के अनुभव और अन्य साख पर बोलीदाता सहायक कंपनी की पूर्व-अर्हता के लिए विचार किया जाएगा, बशर्ते ऐसी प्रतिबद्धता शीर्ष 'मूल कंपनी' द्वारा प्रमाणित/प्राधिकृत और गारंटीकृत हो।

यदि बोलीदाता कंपनी (सहायक कंपनी) अर्हता प्राप्त कर लेती है और उसे कार्य पैकेज प्रदान किया जाता है, तो मूल/होल्टिंग कंपनी को, बोलीदाता कंपनी द्वारा नियोक्ता को जमा की जाने वाली सामान्य निष्पादन बैंक गारंटी/बीमा जमानत बॉण्ड के अतिरिक्त और फॉर्म के अनुसार पृथक करार करने के साथ-साथ, अनुबंध मूल्य या कार्य के भाग (जहाँ सहायक कंपनी संयुक्त उद्यम भागीदार है), जैसा भी मामला हो, के पाँच प्रतिशत (5%) के बराबर मूल्य की एक अतिरिक्त निष्पादन बैंक गारंटी/बीमा जमानत बॉण्ड प्रस्तुत करना

होगा। मूल/होलिडिंग कंपनी की सहायक कंपनियों के अनुभव को मूल/होलिडिंग कंपनी का अनुभव माना जाएगा।

3.3 सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर:

निविदा प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता में सुधार के लिए एनएचपीसी सत्यनिष्ठा समझौता लागू कर रहा है और यह इस निविदा पर लागू होगा।

सभी संभावित बोलीदाताओं और एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षरित सत्यनिष्ठा समझौता दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को निविदा प्रक्रिया में किसी भी भ्रष्ट/कपटपूर्ण/साँठगाँठ वाली/दबावपूर्ण प्रथा का सहारा न लेने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। निविदा प्रदान किए जाने पर सफल बोलीदाता और स्वामी द्वारा सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और यह दोनों पक्षों के व्यक्तियों/अधिकारियों को अनुबंध के कार्यान्वयन के दौरान किसी भी भ्रष्ट/कपटपूर्ण/साँठगाँठ वाली/दबावपूर्ण प्रथा का सहारा न लेने के लिए प्रतिबद्ध करेगा। केवल वही बोलीदाता बोली प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे जिन्होंने एनएचपीसी लिमिटेड के साथ सत्यनिष्ठा समझौता किया है। निविदा दस्तावेज़ में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार सत्यनिष्ठा समझौता करना एक मूलभूत अर्हता आवश्यकता है।

सत्यनिष्ठा समझौते के अंतर्गत दायित्वों के अनुपालन की निगरानी के लिए एनएचपीसी लिमिटेड द्वारा श्री प्रभाष सिंह, श्री उपेंद्र मलिक और श्री श्रीनिवास सरवेपल्ली को स्वतंत्र बाह्य निगरानीकर्ता (आईईएम) नियुक्त किया गया है।

श्री प्रभाष सिंह E7M702, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, मध्य प्रदेश, पिन-462016 ई-मेल: srgmhrbpl@gmail.com	श्री उपेंद्र मलिक बी-108, एनएसजी सोसाइटी, प्लॉट-2, पॉकेट-6, बिल्डर्स एरिया, ग्रेटर नोएडा - 201315 (उ.प्र.) ईमेल: upendra.malik@gmail.com	श्री श्रीनिवास सरवेपल्ली, 1203, साकेत टॉवर, गृह प्रवेश अपार्टमेंट्स, सेक्टर-77, नोएडा-201301 (उ.प्र.) ईमेल: srinivas.eximius@gmail.com
---	---	--

सत्यनिष्ठा समझौता बोली जमा करते समय सादे कागज़ पर निष्पादित किया जाएगा। सफल बोलीदाता (ठेकेदार) अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करने से पहले भारत के हरियाणा राज्य में लागू स्टाम्प अधिनियम के अनुसार उपयुक्त मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर विधिवत निष्पादित सत्यनिष्ठा समझौता जमा करेगा।

4. केवल उन्हीं संभावित बोलीदाताओं की बोलियों पर, जिन्होंने बोली दस्तावेज़ डाउनलोड किए हैं और जो ऊपर निर्दिष्ट पात्रता मानदंड पूरे करते हैं, आगे के मूल्यांकन और अनुबंध प्रदान करने के लिए विचार किया जाएगा। बोलीदाता अपनी साख और पात्रता मानदंड पूरे करने के दावे को सिद्ध करने के लिए अपनी बोलियों के साथ अपेक्षित समर्थक दस्तावेज़ और प्रशस्ति-पत्र जमा करेंगे। एनएचपीसी लिमिटेड जाँच करेगा और सुनिश्चित करेगा कि बोलीदाता निर्दिष्ट अर्हता मानदंड पूरे करता है या नहीं। यदि निविदा दस्तावेज़ की आवश्यकता के अनुसार अर्हता मानदंड पूरे नहीं पाए जाते, तो ऐसे बोलीदाता की बोली को अननुरूप माना जाएगा और उनकी मूल्य बोली नहीं खोली जाएगी।

5. स्वामी राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा संबंधी विचारों सहित किसी भी कारण से किसी भी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, या बोली आमंत्रण को रद्द/वापस लेने तथा अनुबंध प्रदान किए जाने से पहले किसी भी समय बोली प्रक्रिया को निरस्त करने और सभी बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, और इससे प्रभावित बोलीदाता(ओं) के प्रति कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा। तथापि, जो बोलीदाता रद्दीकरण/अस्वीकृति के ऐसे निर्णय का कारण जानना चाहते हैं, उन्हें स्वामी द्वारा उसकी सूचना दी जाएगी, जब तक कि उसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य के सुरक्षा, सामरिक, वैज्ञानिक या

आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंधों पर प्रभाव पड़ने की या किसी अपराध के लिए उकसावे की उचित आशंका न हो।

6. इसके अतिरिक्त, भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों के बोलीदाता (उन देशों को छोड़कर जिन्हें भारत सरकार ने ऋण सीमा प्रदान की है या जिनमें भारत सरकार विकास परियोजनाओं में संलग्न है, जैसा कि लोक प्रापण आदेश सं. 2 दिनांक 23.07.2020 या उसके बाद के संशोधनों/परिवर्धनों में उल्लिखित है), दिनांक 23.07.2020 के "सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) 2017 के नियम 144(xi) के अंतर्गत प्रतिबंध" और उसके बाद के संशोधनों के प्रावधानों का अनुपालन करेंगे।

7. मेक इन इंडिया आपूर्तिकर्ताओं को क्रय में वरीयता: आदेश 2017:

डीआईपीपी के आदेश सं. पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 15.06.2017 द्वारा अधिसूचित लोक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017, जैसा कि आदेश सं. पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 28.05.2018, आदेश सं. पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 29.05.2019, आदेश सं. पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 04.06.2020, आदेश सं. पी-45021/2/2017-बीई-II दिनांक 16.09.2020 द्वारा संशोधित है, और कोई भी बाद के संशोधन इस निविदा पर लागू होंगे।

'मेक इन इंडिया' (स्थानीय सामग्री से जुड़ी) वरीयता के अंतर्गत लाभ चाहने वाले बोलीदाताओं को लोक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) आदेश 2017 और उसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। बोलीदाता स्व-प्रमाणपत्र/कंपनी के सांविधिक लेखा-परीक्षक या लागत लेखा-परीक्षक से (कंपनियों के मामले में) या व्यवसायगत लागत लेखाकार या व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट से (कंपनियों के अलावा अन्य आपूर्तिकर्ताओं के संबंध में) प्रमाणपत्र प्रदान करेंगे, जिसमें यह इंगित हो कि वे क्लास-I स्थानीय आपूर्तिकर्ता हैं या नहीं और प्रस्तावित मदें उसकी स्थानीय सामग्री की आवश्यकता को पूरा करती हैं या नहीं। वे मद के लिए स्थानीय सामग्री का प्रतिशत भी इंगित करेंगे और उन स्थानों का विवरण देंगे जहाँ स्थानीय मूल्य संवर्धन किया गया है। मूल्य बोली खुलने की तिथि पर प्रचलित लोक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) नीति (इसके नवीनतम संशोधनों/परिवर्धनों सहित) इस निविदा पर लागू होगी। बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे लोक प्रापण (मेक इन इंडिया को वरीयता) नीति को पढ़ लें।

8. बोली जमा करने का समय समाप्त होने के बाद पोर्टल पर बोलियों (संलग्नकों सहित) को ऑनलाइन जमा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और बोलीदाताओं को किसी अन्य माध्यम से उन्हें जमा करने की अनुमति नहीं होगी। ऐसी स्थिति में, यदि बोलीदाता ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर विशिष्ट दस्तावेज़ मूल रूप में हार्ड कॉपी में जमा भी कर दिए हों, तब भी उसकी बोली को विलंबित माना जाएगा और उस पर आगे बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा। यदि ऑफ़लाइन दस्तावेज़ हार्ड कॉपी जमा करने की समय-सीमा के बाद स्वामी को प्राप्त होते हैं, तो उसे विलंबित बोली माना जाएगा, भले ही बोलीदाता ने बोली समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन अपलोड कर दी हो। ऐसी स्थिति में पोर्टल पर अपलोड की गई बोली पर आगे बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा।
9. बोलियाँ उपर्युक्त स्थान पर निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खोली जाएँगी। यदि निर्दिष्ट बोली खुलने की तिथि पर कार्यालय बंद हो, तो बोलियाँ अगले कार्य-दिवस पर उसी समय और उसी स्थान पर खोली जाएँगी।
10. जिस निविदाकार ने एनएचपीसी की वेबसाइट nhpcindia.com या केंद्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल (सीपीपीपी) की वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> से निविदा डाउनलोड की है, वह डाउनलोड किए गए मूल्य बोली टेम्पलेट सहित निविदा दस्तावेज़ के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन नहीं करेगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की छेड़छाड़/संशोधन पाया जाता है, तो निविदा पूरी तरह अस्वीकृत कर दी जाएगी, ईएमडी जब्त कर ली जाएगी और निविदाकार एनएचपीसी के साथ व्यवसाय करने से प्रतिबंधित किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. बोलियाँ, तथा बोलीदाताओं और ग्राहक के बीच अर्हता से संबंधित आदान-प्रदान किए गए सभी पत्राचार और दस्तावेज़ अंग्रेज़ी भाषा में होंगे।
12. ऑनलाइन निविदा से संबंधित विवरण/जानकारी, अर्थात् सीपीपी पोर्टल पर पंजीकरण, बोली की तैयारी और बोली जमा करना, निविदा दस्तावेज़ में उपलब्ध है।
13. निविदा दस्तावेज़ों में कोई भी शुद्धिपत्र/संशोधन केवल एनएचपीसी/सीपीपी (ई-प्रोक्योरमेंट सेवा प्रदाता) की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा और बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे बोली जमा करने की अंतिम समय-सीमा से पहले नियमित रूप से साइट देखते रहें।
14. 'निविदा आमंत्रण सूचना' के अंग्रेज़ी और हिंदी संस्करण के शब्दों में किसी भी अंतर की स्थिति में अंग्रेज़ी संस्करण मान्य होगा।

नोट: संभावित बोलीदाता को/द्वारा बोली दस्तावेज़ मात्र डाउनलोड कर लेने का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि ऐसा बोलीदाता स्वतः ही निर्धारित पात्रता मानदंड पूरे करता है। बोलीदाता विशिष्ट पात्रता मानदंड पूरे करता है या नहीं, इसकी जाँच या सुनिश्चितता उनकी बोलियाँ खोलने पर उनके द्वारा बोली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़ी साक्ष्यों की संवीक्षा करके की जाएगी।

एनएचपीसी लिमिटेड की ओर से एवं उसके लिए

महाप्रबंधक (सीसी-IV),
अनुबंध-सिविल प्रभाग,
दूसरी मंज़िल, ज्योति सदन,
एनएचपीसी कार्यालय परिसर,
सेक्टर-33, फरीदाबाद-121003 (हरियाणा),
ई-मेल: contcivil4-co@nhpc.nic.in
दूरभाष-0129-2250040

NHPC LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
CIN: L40101HR1975GOI032564

NOTICE INVITING E-TENDER

Tender ID: 2026_NHPC_929592_1

Dated: 09-10-2026

Online electronic bids are invited by NHPC Limited Faridabad, India hereinafter referred to as “the Owner/Employer” through Domestic Competitive Bidding (DCB) in Single Stage - Two Part Bidding Basis (i.e. Part-I QR + Technical-Bid and Part-II: Financial Bid) with e-Reverse auction (e-RA) from eligible bidders for “**Lot-3 Package: Hydro-mechanical Works for All Gates and Pressure Shaft Liners for the implementation of the 260 MW Dulhasti Stage-II HE Project, in Kishtwar District of UT of J&K, India.**”

Complete NIT and Tender Documents can be downloaded and submitted through the portal <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. The site can also be viewed through e-procurement corner of NHPC website www.nhpcindia.com and CPP Portal. The last date of online submission of bids is 20-11-2026 (17:00 Hrs). The date and time for e-Reverse Auction shall be intimated separately by NHPC. For further details, please visit <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>. Bidders shall register themselves on the website to submit their bids. Subsequent amendments, if any, shall be posted only on the aforesaid websites, hence Bidders are advised to visit websites regularly.

General Manager (CC-IV)
Email: contcivil4-co@nhpc.nic.in

NHPC LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
CIN: L40101HR1975GOI032564

NOTICE INVITING E-TENDER

Domestic Competitive Bidding

1. Online Bids are invited by NHPC Limited hereinafter referred to as “the Employer” through **Domestic Competitive Bidding in Single Stage -Two Part Bidding** Basis (i.e. Part-I: QR + Technical- Bid and Part-II: Financial Bid) with e-Reverse Auction (e-RA) from eligible bidders for **“Lot-3 Package: Hydro-mechanical Works for All Gates and Pressure Shaft Liners for the implementation of the 260 MW Dulhasti Stage-II H.E Project, in Kishtwar District of UT of J&K, India.”** as briefly described hereunder:

i)	Tender Specification No.	NH/CCW/CC-IV/CO-486/PR/26/407
ii)	Tender ID	2026_NHPC_929592_1
iii)	Mode of tendering	e-Procurement System (online) Cover-I - Qualification Particulars and Techno-Commercial Bid Cover- II - Price Bid through web portal of Central Public Procurement Portal http://eprocure.gov.in/eprocure/app
iv)	Scope of the Works	Design, preparation of detailed fabrication, sub assembly and assembly drawings, procurement, fabrication/manufacturing, inspection, shop assembly, testing, painting, transportation, site storage & site erection, testing and commissioning including provision for all the required labour, plant & material for the above, handing over to owner, supply of necessary spares for 5 years trouble free operation for all gates, and their operating systems & Pressure shaft liners. Supply and installation of all incidentals not specified but necessary for the proper completion and satisfactory functioning of works and guarantee of the permanent equipment, along with all auxiliary equipment in the designated location of the project as specified in the following sections of technical specifications, shall also be in the scope of work. The scope of work shall include all special tools, as well as all special devices including lifting devices, ropes, etc. necessary for total assembly and disassembly (if required) of all parts of the

		supplied Works.
v)	Estimated Cost	INR 131.23 Crores.
vi)	Time for Completion	38 Months
vii)	i) Earnest Money Deposit/Bid Security ii) Tender Document Fees (non-refundable) by way of DD.	i) INR 1.97 Crores ii) Rs. 10000/- (INR Ten Thousand Only) in favour of NHPC Limited, Faridabad
viii)	NIT Issue date & Tender View Date and time	09-10-2026 (17:30 Hrs)
ix)	Last date of Receipt of clarification of Bid	22-10-2026 (17:00 Hrs)
x)	Date & Venue of Pre bid Conference	26-10-2026 (11:00 Hrs) NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad, Haryana, India-121003
xi)	Date of Starting of submission of e-Tender for online Techno-Commercial Bid and price Bid at http://eprocure.gov.in/eprocure/app	13-11-2026 (15:00 Hrs)
xii)	Deadline for submission of online Techno-Commercial Bid & Price Bid.	20-11-2026 (17:00 Hrs)
xiii)	Deadline for submission of Hard Copy (Offline documents) to Tender Inviting Authority	23-11-2026 (15:00 Hrs)
xiv)	Venue, Date & time of opening of online and offline bids: a) Part-I - Techno-Commercial Bid b) Part II - Price Bid	<u>Venue:</u> O/o General Manager (CC-IV), Contracts-Civil Division, 2nd Floor, Jyoti Sadan, NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003 (Haryana) a) 23-11-2026 (15:30 Hrs) b) Date and Time to be intimated later to the bidders whose Techno-commercial bids will be found responsive
xv)	Date & Time of Start of e-Reverse Auction	Shall be intimated separately by NHPC
xvi)	Tender Inviting Authority	General Manager (CC-IV), Contracts-Civil Division, 2nd Floor, Jyoti Sadan, NHPC Office Complex, Sector-33, Faridabad-121003 (Haryana), E-mail: contcivil4-co@nhpc.nic.in

- 1.1 Complete tender can be viewed and submitted through Central Public Procurement Portal <http://eprocure.gov.in/eprocure/app> (link to reach at site is also available at tender corner as 'e-Procurement' at www.nhpcindia.com). Bids shall be submitted online at CPPP website only i.e. at <http://eprocure.gov.in/eprocure/app>. Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions to the Bidders' for the e-submission of the bids online through the Central Public Procurement Portal.

2. Special Instructions to Bidders for E-tendering:

2.1 Registration:

- i) Bidders are required to enroll on the e-Procurement module of the Central Public Procurement Portal by using the “Online Bidder Enrollment” option available on the home page. **Enrolment on the CPP Portal is free of charge.**
- ii) During enrolment/ registration, the bidders should provide the correct/ true information including valid email-id & mobile no. All the correspondence shall be made directly with the contractors/ bidders through email-id provided.
- iii) As part of the enrolment process, the bidders will be required to choose a unique username and assign a password for their accounts.
- iv) For e-tendering possession of valid Digital Signature Certificate (Class II or Class III Certificates with signing key usage) is mandatory which can be obtained from SIFY/nCode/eMudra or any Certifying Authority recognized by CCA India on eToken/ SmartCard.
- v) Upon enrolment on CPP Portal for e-tendering, the bidders shall register their valid Digital Signature Certificate with their profile.
- vi) Only one valid DSC should be registered by a bidder. Bidders are responsible to ensure that they do not lend their DSCs to others which may lead to misuse and should ensure safety of the same.
- vii) Bidders can then log into the site through the secured login by entering their user ID/ password and the password of the DSC/ eToken.

2.2 Searching for Tender Documents:

- i) There are various search options built in the CPP Portal, to facilitate bidders to search active tenders by several parameters. These parameters could include Tender ID, Organization Name, Location, Date, Value, etc. There is also an option of advanced search for tenders, wherein the bidders may combine a number of search parameters such as Organization Name, Form of Contract, Location, Date, other keywords etc. to search for a tender published on the CPP Portal.
- ii) Once the bidders have selected the tenders they are interested in, they may download the required documents/ tender schedules. **These tenders can be moved to the respective ‘My Tenders’ folder.** This would enable the CPP Portal to intimate the bidders through SMS/ e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
- iii) The bidder should make a note of the unique Tender ID assigned to each tender, in case they want to obtain any clarification/ help from the Helpdesk.

2.3 Preparation for submission of Bid:

The Techno-Commercial Bid and Price Bid to be submitted on-line at <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>.

- i) For preparation of bid Bidders shall search the tender from published tender list available on site and download the complete tender document and should take into account corrigendum if any published before submitting their bids.

After selecting the tender document same shall be moved to the ‘My favourite’ folder of bidders account from where bidder can view all the details of the tender document.

- ii) Bidder shall go through the tender document carefully to understand the documents required to be submitted as part of the bid. Bidders shall note the number of covers in

which the bid documents have to be submitted, the number of documents – including the names and content of each of the document that need to be submitted. Any deviations from these may lead to rejection of the bid.

- iii) Any pre-bid clarifications if required, then same may be obtained online through the tender site, or through the contact details given in the tender document.
- iv) Bidders should get ready in advance the bid documents in the required format (PDF/xls/rar/dwf/jpg formats) to be submitted as indicated in the tender document/schedule. **Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document.**
- v) Bidders can update well in advance, the documents such as experience certificates, annual report, PAN, EPF & other details etc., under “My Space/ Other Important Document” option, which can be submitted as per tender requirements. This will facilitate the bid submission process faster by reducing upload time of bids.

2.4 Submission of Bids:

- i) Bidder should log into the site well in advance for bid submission so that he/ she upload the bid in time i.e. on or before the bid submission time.
- ii) Bidder should prepare the Tender Fee and EMD as per the instructions specified in the NIT/ tender document. The details of the DD/ BC/ BG/ Insurance Surety Bond physically sent, should tally with the details available in the scanned copy and the data entered during bid submission time. Otherwise the uploaded bid will be rejected.
- iii) While submitting the bids online, the bidder shall read the terms & conditions (of CPP portal) and accepts the same in order to proceed further to submit their bid.
- iv) Bidders shall select the payment option as offline to pay the Tender Fee/ EMD and enter details of the DD/ BC/ BG/ Insurance Surety Bond.
- v) Bidder shall digitally sign and upload the required bid documents one by one as indicated in the tender document.
- vi) Bidders shall note that the very act of using DSC for downloading the tender document and uploading their offers is deemed to be a confirmation that they have read all sections and pages of the tender document without any exception and have understood the complete tender document and are clear about the requirements of the tender document.
- vii) Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing size of the scanned document. For the file size of less than 1 MB, the transaction uploading time will be very fast.
- viii) If price quotes are required in XLS format, utmost care shall be taken for uploading Schedule of quantities & Prices and any change/ modification of the price schedule shall render it unfit for bidding.

Bidders shall download the Bill of Quantities, in XLS format and save it without changing the name of the file. Bidder shall quote their rate in figures in the appropriate cells, thereafter save and upload the file in financial bid cover (Price bid) only. If the template of Bill of Quantities file is found to be modified/corrupted in the eventuality by the bidder, the bid will be rejected and further dealt as per provision of the tender document.

- ix) The bidders are cautioned that uploading of financial bid elsewhere i.e. other than in Cover-II will result in rejection of the tender.

- x) Bidders shall submit their bids through online e-tendering system to the Tender Inviting Authority (TIA) well before the bid submission end date & time (as per Server System Clock). **The TIA will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bids online by the bidders at the eleventh hour.**
- xi) After the bid submission (i.e. after Clicking “Freeze Bid Submission” in the portal), the bidders shall **take print out of system generated acknowledgement** number, and keep it as a record of evidence for online submission of bid, which will also act as an entry pass to participate in the bid opening.
- xii) Bidders should follow the server time being displayed on bidder’s dashboard at the top of the tender site, which shall be considered valid for all actions of requesting, bid submission, bid opening etc., in the e-tender system.
- xiii) All the documents being submitted by the bidders would be encrypted using PKI (Public Key Infrastructure) encryption techniques to ensure the secrecy of the data. The data entered cannot be viewed by unauthorized persons until the time of bid opening. The confidentiality of the bids is maintained using the secured Socket Layer 128 bit encryption technology.
- xiv) After submission of the bid, the bidder can re-submit revised bid any number of times but before stipulated deadline for submission of bid. The bidders are advised not to withdraw their bids as once the bid is withdrawn, they cannot participate in same tender again.

2.5 Assistance to Bidders:

- i) Any queries relating to the tender document and the terms and conditions contained therein should be addressed to the Tender Inviting Authority for a tender or the relevant contact person indicated in the tender.
- ii) Any queries relating to the process of online bid submission or queries relating to CPP Portal in general may be directed to the 24X7 CPP Portal Helpdesk Number 0120-4001002, 0120-4001005, 0120-6277787.

2.6 Four Key Instructions for Bidders:

The following ‘**Four Key Instructions for Bidders**’ must be assiduously adhered to:-

- i) Obtain individual Digital Signature Certificate (DSC or DC) well in advance of tender submission deadline.
- ii) Register your organization on CPPP well in advance of tender submission deadline.
- iii) Get your organization’s concerned executives trained on CPPP well in advance of tender submission deadline.
- iv) Submit your bids well in advance of tender submission deadline on portal (There could be last minute problems due to internet timeout, breakdown, etc.) While the first three instructions mentioned above are especially relevant to first-time users of portal, the fourth instruction is relevant at all times.

Note: Electronic procurement system will not allow any bidder to place their bids after the expiry of scheduled date & time. NHPC/ NIC/ CPPP shall not be responsible for any delays / problems related to bandwidth, connectivity etc., which are beyond the control of the NHPC/ NIC/ CPPP.

3. Eligible Bidders

3.1.1 (a) The bidders who are incorporated legal entity and are legally and financially autonomous and operate under commercial law of their respective jurisdiction in India.

(b) Bids from those bidders who have not paid the Tender fee shall not be considered.

3.1.2 Bidders shall not be under declaration of ineligibility for banning/ de-listing/ black listing/ debarment from business on the ground mentioned in para 6 of Guidelines on Banning of Business dealings (Annexure-A) to Integrity Pact (Sub-Clause 2.3 of ITB) at the time of submitting the bid and shall intimate immediately of any such banning/de-listing/black-listing /debarring after submission of bid till award of Tender. Self-Declaration in this regard is to be submitted as per the enclosed Proforma (Attachment-7, of Volume-5: Forms & Procedures).

3.1.3 Bidder declared ineligible by the Employer for his unsatisfactory performance in the past contract (s) of similar nature with the Owner, will not be considered as eligible bidder, till completion of ineligibility period.

3.1.4 The bidder(s) shall include the following information and documents with their bids in, Qualification Information unless otherwise stated in the ITB:

- a) Copies of original documents defining the constitution or legal status, place of registration, and principal place of business; written power of attorney of the signatory of the Bid to commit the Bidder. Additional information as sought in the Eligibility Form-1 'General Information', ITB shall be provided;
- b) Work experience to demonstrate meeting the criteria stipulated in ITB clause 2.2 shall be provided in Eligibility/ Qualification Form - 2, 2A, 2B, 3, 3A, 3A1, 3A2, 4A & 4B of ITB. The specific experience shown shall be supported with certificate(s) from the Owner/Employer/ Client of the concerned work.
- c) Information on financial criteria stipulated in ITB clause 2 shall be furnished in Eligibility Form-6 of ITB. Documentary evidence in support of the financial criteria shall be submitted to ascertain bidder's meeting the financial criteria.
- d) Other requisite information shall be furnished in Eligibility Form-5, 5A, 7 & 8 of ITB.
- e) In case of experience certificates produced by the contractors for having executed works for Private Organizations, TDS Certificates shall also be produced along with experience certificate.

3.1.5 The Employer may impose certain restrictions on the companies participating in any form and their employees in view of the National Security, in the Project situated in the sensitive region and border areas. The Employer shall obtain clearance of Govt. of India regarding security implications prior to qualification of such company. Bidders shall be required to provide Company information for Security Clearance as per format provided in Eligibility Form-1A.

3.2 QUALIFICATION CRITERIA

The qualification will be subject to Bidder's fulfilment of the Qualification Criteria set and stipulated hereunder, substantiated by authentic and relevant information and details. Additional information in support of their claims of achievements may be furnished in any form of their device and design. The Bidder(s) who wish to apply for Tender for the aforesaid work must satisfy the following qualifying criteria:

3.2.1 GENERAL EXPERIENCE:

Experience as principal contractor or as partner in a JV or Sub-contractor approved by the employer of executing substantially completed Hydro-mechanical work during last 20 Years of following value of completed work done:

1. One Hydro Mechanical work costing not less than 80% of the estimated cost i.e. **INR 105 Crores** or
2. Two Hydro Mechanical works each costing not less than 50% of the estimated cost i.e. **INR 66 Crores** or
3. Three Hydro Mechanical works each costing not less than 40% of the estimated cost i.e. **INR 52 Crores.**

For such works with payment received in other than INR shall be converted in INR by adopting the Exchange rate between that Currency and INR as prevailing on the completion date mentioned in the completion certificate and if month of completion is mentioned in the Completion Certificate, then the exchange rate of last working day of the Month shall be taken. The value of work in INR or converted into INR as above from the currency other than INR shall be enhanced by 7% simple rate per annum up to the date of Bid Opening.

3.2.2 SPECIFIC EXPERIENCE: Successful experience of completed works, either by the bidder Company itself or by the proposed manufacturer(s) who have given authorization to the bidder in required format for Designing, manufacturing, installation, testing & commissioning of the following Hydro Mechanical items having ratings as below in preceding 20 years.

i) Steel Liner for Pressure Shaft / Penstock:

Designing, Fabrication/ Manufacturing, erection, testing and commissioning of Steel Liner for Pressure Shaft with **$DXH \geq 712 \text{ m}^2$** .

“D” denotes maximum inside diameter in meter of a steel liner

“H” denotes the max design head in meter

ii) Vertical Lift Gate:

Designing, Manufacturing, installation, testing and commissioning of Fixed Wheel type Vertical Lift Gate operated by hydraulic hoist or rope drum hoist with **$AXH \geq 1251 \text{ m}^3$** .

“A” denotes an area (Clear width by clear height) for one gate in m^2 .

“Clear width” denotes distance between inner faces of two opposite piers

“H” denotes the normal design head at the bottom of the gate in meter

Note:

1. Bidder should have executed one or more works of similar nature and magnitude covered under the tendered work package in a substantially completed /completed project during the preceding 20 years.
2. The reference date for considering the period of 20 years shall be reckoned from the last day of month previous to the one in which Tender is invited.
3. The work experience for Designing of Steel Liner for Pressure Shaft / Penstock and work experience for Fabrication/Manufacturing, erection, testing and commissioning of Steel Liner for Pressure Shaft / Penstock may be from different projects.
4. The work experience for Designing of Fixed Wheel type Vertical Lift gate and work experience for Manufacturing, erection, testing and commissioning of Fixed Wheel Vertical Lift gate may be from different projects.
5. Substantial Completion is when the works are completed in a condition that it is capable of being occupied and used by Employer for the purpose for which it is intended. Substantial completion shall be based on 80 (eighty) per cent (value wise) or more works completed under the contract. For contracts under which the bidder participated as a joint venture member or sub-contractor, only the bidder's share, by value, shall be considered to meet this requirement.
6. The evaluation of a bidder's specific experience for a work executed on JV basis shall be based on his role and scope of work in such joint ventures. To establish his role and scope of work in such Joint Venture contracts, the bidder shall provide documentary evidence to the extent of experience claimed by him. In case the quantum of work as per, experience certificate does not match with the scope of work as defined in the JV agreement, then the experience credentials shall be considered as per the experience certificate issued by the employer / client.
7. In case scope of work of individual partners is not clearly defined in the JV agreement then credential of Bidders being partner in a JV shall be decided in the following manner:
 - a) Where Specific experience certificate in respect of individual JV partners is available, the same shall be considered to the extent of work executed by such JV partner.
 - b) Where Specific experience certificate is not available, or experience certificate is issued in the name of JV, the evaluation shall be done in the following manner: -
 - i) In case the participation / profit sharing percentage of Bidders as per JV agreement is at least 35%, full credit of the work executed by the JV shall be given to such Bidders.
 - ii) In case the participation / profit sharing percentage of Bidder in JV agreement is less than 35%, no credit of work executed under such JV shall be given to such Bidder.
 - iii) Notwithstanding (i) and (ii) above, in case of availability of Specific experience certificate, (a) above shall apply.

In case both participation share and profit sharing ratio are available in the JV

Agreement, participation share shall prevail.

8. For the portion of work executed through a sub-contractor, full experience for that portion of work can be claimed by the Contractor as well as sub-contractor for fulfilling criteria for evaluation of bidder's specific experience.
9. Experience of Supervision of erection testing and commission of bidder shall also be considered at par with own erection, testing & commissioning of HM equipment.
10. In support of above at 3.2.2(i) & 3.2.2(ii), the bidder should provide copy of Performance / successful operation certificate for at least 2 years from the date of commissioning issued by Purchaser/ Owner of the equipment.

3.2.3 FINANCIAL CAPACITY:

(i) Turnover:

The bidder should have Minimum Average Annual Turnover of **INR 44 Crore (excluding GST)** for the immediately preceding two (2) consecutive financial years.

(ii) Net Worth:

The bidder should have positive "Net Worth" in at least 02 financial years out of the last 03 financial years, with the condition of positive Net Worth in immediately preceding financial year.

'Net Worth' means the aggregate value of the paid-up share capital and all reserves created out of the profits, securities premium account and debit or credit balance of profit and loss account, after deducting the aggregate value of the accumulated losses, deferred expenditure and miscellaneous expenditure not written off, as per the audited balance sheet, but does not include reserves created out of revaluation of assets, write-back of depreciation and amalgamation

For assessment, relevant pages of Annual Report containing Net Worth figure duly certified by Authorized representative of Bidders, otherwise, figure duly authenticated by the Statutory Auditors should be submitted.

(iii) Working Capital:

The working capital (current assets minus current liabilities) shall be at least 2 (two) times the monthly cash flow requirement. The minimum working capital of the bidder shall not be less than **INR 6.9 Crores**.

For this purpose current assets and current liabilities will be considered as classified in the audited balance sheet / equivalent financial statements including profit and loss statement of the immediately preceding financial year. If audited financial statement for the immediate preceding financial year is not available, then the bidder shall submit these statements certified by a Chartered Accountant.

Notes:

- i) Other income shall not be considered for arriving at the Annual Turnover.
- ii) The bidder's financial evaluation vis a vis the requirement as stipulated above shall be done on the basis of duly printed (offset) Annual Report / Equivalent Financial

Statement for the immediately preceding three years submitted by the bidder along with the Bid. In case, bid submission date falls up to 30th September, the annual reports/ equivalent financial statement up to previous year of immediate preceding Financial Year shall be considered and for the Tenders having Bid Submission date after September, the annual reports / equivalent financial statement up to immediate preceding Financial Year shall be considered. Further, standalone audited Annual Financial Statement of bidder shall be forming part of the Annual Report / Equivalent Financial Statement.

In case, if bidder has not submitted the above Annual Report / Equivalent Financial Statement along with Bid, then a certificate from CEO/CFO of the bidder shall be submitted along with Bid mentioning that the requirement of Annual Report as per governing law of country is not mandatory in case of such bidders Equivalent Financial Statement shall be considered. In such cases duly notarized copies of Audited Printed Annual Financial Statement (Balance Sheet, Profit & Loss Statement, cash flow statement, Auditor's Report thereon including all relevant Schedules/ annexures etc.) for the immediately preceding (3) three years be submitted by the bidder along with the Bid. The Annual Financial Statement shall be considered for evaluation in same manner as defined in above Para for consideration of Annual Reports / Equivalent Financial Statement.

- iii) In case where Audited financial results for the immediately preceding year are not available, then a statement of account as on the closing date of the immediately preceding financial year depicting the Turnover and Net Worth (calculated as per laid down criteria) duly certified by their Statutory Auditor/ Certified Public Accountant carrying out the statutory audit shall be enclosed with the Bid along with copy of appointment letter of the statutory auditor. The Certificate should be issued with Unique Document Identification Number (UDIN) as per Gazette Notification No.1-CA (7)/192/2019 dated 02.08.2019 or any other document identification number issued to Certified Public Accountants by their respective Institute, if applicable.
- iv) Wherever, the Annual Report/ duly notarized copies of Audited Printed Annual Financial Statement are in language other than English, then copy duly translated & printed in English language and certified by approved/ recognized English translator shall be submitted with the Bid.
- v) The qualification given by Statutory Auditors on the Financial Statements which have impact on Net Worth, Turnover, Working Capital or any other financial item shall be taken into account for calculating the above financial parameters of Qualifying Criteria.
- vi) For conversion to US\$ the exchange rate at the end of the respective accounting year shall be considered.
- vii) For the purpose of compliance to the stipulated turnover criteria given at Financial Criteria, the relevant turnover from Joint Ventures(s) as declared in the Joint Venture Agreement shall also be considered.

The proportionate JV Turnover shall be certified by their Chartered Accountant in the absence of not appearing the same in Audited Financial Statement.

3.2.4 BID CAPACITY:

The available Bid Capacity of the bidder at the time of submission of price bid, calculated as under should not be less than **INR 131.23 Crore**.

$$\text{Available Bid Capacity} = (2.0 \times A \times N) - B,$$

Where;

A = Indexed value of Maximum value of works executed (in an ongoing or completed project) in any one year during last 5 years, keeping index of inflation as 6% (compounded annually) for calculating 'A' at present Price Level.

N = Number of years prescribed for completion of the subject contract package (i.e. 38/12 years).

B = Value of existing commitments (as on last date of bid submission) and ongoing works to be completed in the next 'N' years (i.e. 38/12 years).

The bid capacity shall be assessed at the time of submission of the Bid and should not be less than the estimated cost of the work.

The Bidder shall submit a certificate from its statutory auditors in support of establishing 'A' and 'B' above, along with their bid.

3.2.5 BIDS OF ANY INSOLVENT FIRM:

The Bidder or partner of JV against whom an application for initiating corporate insolvency resolution process has been admitted by the Adjudicating Authority under the Insolvency and Bankruptcy code 2016, or as amended from time to time shall not be eligible for bidding. The same shall also be applicable to the bidder company who has taken unconditional technical and/or financial support from their Parent/Holding Company, against whom an application for initiating corporate insolvency resolution process has been admitted by the Adjudicating Authority under the Insolvency and Bankruptcy Code 2016, or as amended from time to time (IBC 2016 hereafter).

In case, bidder or partner of JV in respect of whom any application for initiating corporate insolvency resolution process was not admitted at the time of submission of bid but subsequently during the period of evaluation of bids or any time before the work is awarded, any such application is admitted by the Adjudicating Authority under the IBC 2016, the bidder shall be considered as ineligible and his bid shall be rejected.

An undertaking that "no insolvency proceeding is admitted by the Adjudicating Authority against bidder or partner of JV under the IBC 2016" shall be submitted on letter head duly signed by the authorized representative of bidder or partner of JV.

Further, the bidder after submitting the bid till the time of award of work, shall inform NHPC regarding any admission of application for corporate insolvency resolution process by the Adjudicating Authority under the IBC 2016 against bidder or partner of JV and any suppression of such fact shall render the bidder liable for rejection of his bid and banning of business dealing as per terms and conditions of Guidelines of banning of business dealings under Integrity Pact.

3.2.6 NATURE OF BIDDERS

The Bidder should either be a Sole Contractor/ Sole Contractor in association Manufacturer(s)/JV formed for participating in the tendering for this Project.

3.2.7 JOINT VENTURE:

Joint Venture shall comply with the following minimum qualifying requirements:

The number of partners in the Joint Venture including the Lead Partner shall not exceed 2 (Two).

- i) The Lead Partner to fully meet the following :
 - General Experience criteria for hydro-mechanical work specified under Para 3.2.1
 - Specific Experience Criteria for Hydro-mechanical works specified under Para 3.2.2(i) or 3.2.2(ii).
 - Average annual turnover not less than 50% of the criteria specified under financial capacity.
 - Working Capital criteria
- ii) The other partner to individually meet the following:
 - Specific Experience Criteria for Hydro-mechanical works not met by the Lead Partner.
 - Average annual turnover not less than 20% of the criteria specified under financial capacity
- iii) The specific experience of each component structure to be met individually by the Lead Partner and /or other Partner as the case may be.
- iv) All the partners of the Joint Venture to individually fulfil the Net Worth criteria specified in the document.
- v) The Joint Venture to collectively satisfy, as a whole, the financial as well as the technical requirements specified.
- vi) The 'Bid Capacity' requirement should be satisfied by individual partner of Joint Venture in proportion to their participation share of work in Joint Venture.
- vii) The parties shall be required to form the JV before submitting the bid which shall be evinced by submitting a copy of the JV agreement already entered into for the purpose. The JV agreement should contain the role and responsibility of each constituent, the proposed participation share of each partner along with the items of work to be executed by each partner. It shall also be brought out in the JV agreement that in case the Contract is awarded to the JV, each partner of the JV shall be responsible for execution of that item of work for which he claims to have specific experience.
- viii) Lead partner of the Joint Venture should have at least 50% share.

3.2.8 BIDDERS WITH MANUFACTURERS:

Bidders can associate manufacturer(s) for the specified activities in which he does not have relevant experience. The criteria to be met by such Bidder shall be as follows: -

- (i) The bidder himself to fully meet the following:
 - General Experience criteria for hydro-mechanical work specified under Para 3.2.1
 - Specific Experience Criteria for Hydro-mechanical works specified under Para 3.2.2(i) or 3.2.2(ii).
 - All criteria mentioned under Para 3.2.3,
- (ii) The Bidder can propose Manufacturer for Specific Experience Criteria for Hydro-mechanical works not met by the Bidder.
- (iii) The bidder and his manufacturer(s) should submit separate undertakings that the bidder / manufacturer(s) shall be responsible for execution of that item of work for which they claim to have specific experience.
- (iv) The bidder and his proposed manufacturer(s) should collectively satisfy as a whole all the specified experience requirements.
- (v) Manufacturer shall submit Performance Security in the form of Bank Guarantee/Insurance Surety Bond equivalent to 5% of value of Work sublet in addition to the Performance Bank Guarantee/ Insurance Surety Bond for whole contract submitted by the bidder on award of Work.

3.2.9 APPLICATIONS/ BIDS BY MERGED/ ACQUIRED/ SUBSIDIARY COMPANIES:

In case of a bidder Company, formed after merger and/or acquisition of other companies, past experience and other antecedents of the merged/acquired companies will be considered for qualification of such bidder Company provided such bidder Company continues to own the requisite assets and resources of the merged/acquired companies needed for execution and successful implementation of the work package put to tender.

Similarly, if the bidder Company is a Subsidiary Company and applies for pre-qualification on the unconditional technical and financial strength of the Parent/Holding Company, the same shall be considered provided the Parent/Holding Company commits to sign a Separate Agreement with NHPC (as per Form-13) confirming full support for the technical and financial requirements of the Subsidiary Company and commits to take up the work itself in case of non-performance by the Subsidiary Company in the event of award of the work to the bidder Subsidiary Company. An undertaking by the Parent/Holding Company to this effect shall be submitted along with the bid (as per Attachment-12 to Bid Form). A Subsidiary Company intending to pre-qualify on the strength of Parent/Holding Company shall not be allowed to participate as a 'Manufacturer'.

For the purpose stated herein above in this clause, 'Parent Company' shall mean the 'Holding Company' owning majority (more than 50%) shares of such bidder (Subsidiary) Company. Similarly by extensions of this interpretation, if "A" is owned by a 'Holding Company' "B" which in turn is owned by another 'Holding Company' "C", then "C" is construed as the 'Parent Company' of "A" as well as and so on. An apex 'Parent Company' may own number of independent Subsidiary/Group Companies and if any of these Subsidiary/Group Company commits assured support and unhindered access to its assets and resources to another Subsidiary/Group Company (bidder in this case) under the same apex 'Parent Company' then experience and other credentials of such Subsidiary/Group Company shall be considered for Pre-qualification of the bidder Subsidiary Company

provided such commitment is evidenced/authorized and guaranteed by the apex 'Parent Company'.

In case bidder Company (Subsidiary Company) gets qualified and awarded the work package, the Parent/ Holding Company will be required to furnish an additional performance bank guarantee/insurance surety bond of value equivalent to (5%) five percent of the Contract Price or portion of work (where the Subsidiary Company is Joint Venture Partner) as the case may be, in addition to normal Performance Bank Guarantee/ insurance surety bond to be submitted by the bidder Company to the Employer besides entering into a separate Agreement as per Form. The experience of the subsidiary companies of the Parent/Holding Company will be considered as experience of the Parent / Holding Company.

3.3 Signing of Integrity Pact:

To improve transparency and fairness in the tendering process NHPC is implementing Integrity Pact and same shall be applicable to this tender.

The Integrity Pact, signed by all the prospective Bidders and NHPC Ltd., shall commit the persons/ officials of both the parties, not to exercise any corrupt/ fraudulent/ collusive/ coercive practices in the Tendering process. On award of the tender, the Integrity Pact shall be signed by the successful bidder and the Owner and commit the persons/ officials of both the parties, not to exercise any corrupt/ fraudulent/ collusive/ coercive practices during implementation of the Contract. Only those Bidders who have entered into Integrity Pact with NHPC Ltd. shall be eligible to participate in the bidding process. Entering into Integrity Pact as per Performa provided in Tender Document is a basic qualifying requirement.

To oversee the compliance of obligations under the Integrity Pact, Sh. Prabhash Singh, Shri Upendra Malik and Shri Srinivas Sarvepalli have been appointed as Independent External Monitor(s) (IEMs) by NHPC Ltd.

Sh. Prabhash Singh E7M702,Housing Board colony, Madhya Pradesh, PIN-462016 E-mail: srgmhrbpl@gmail.com	Shri Upendra Malik B-108, NSG Society, Plot-2, Pocket-6, Builders Area, Greater Noida - 201315 (UP) Email: upendra.malik@gmail.com	Shri Srinivas Sarvepalli, 1203, Saket Tower, Griha Pravesh Apartments, Sector - 77, Noida-201301 (UP) Email: srinivas.eximius@gmail.com
---	--	---

Integrity pact is to be executed on plain paper at the time of submission of bid. The successful bidder (contractor) shall submit duly executed Integrity Pact on Non-judicial Stamp Paper of appropriate value as per stamp act applicable in the state of Haryana, India prior to signing of Contract Agreement.

4. Bids of only those prospective Bidders who have downloaded the Bid Documents and are meeting the Eligibility Criteria specified above will only be considered for further evaluation and award of the Contract. Bidders will submit requisite supporting documents and testimonials with their Bids to prove their credentials and claim of meeting the Eligibility Criteria. NHPC Ltd. will, check and ascertain whether the bidder fulfils the Qualifying Criteria specified. In case, the qualifying criteria is not found met as per the requirement of tender document, the Bid of such bidder shall be considered as non-responsive and their Price Bid shall not be opened.

5. The Owner reserves the right to accept or reject any bids, or cancel/ withdraw invitation to bid for any reason including national defense and security considerations, and annul the bidding process and reject all Bids at any time prior to the award of Contract, without thereby incurring any liability to the affected Bidder(s). However, the bidder(s), who wish to seek reason for such decision of cancellation/rejection, shall be informed of the same by Owner unless its disclosure reasonably could be expected to affect the sovereignty and integrity of India, the security, strategic, scientific or economic interests of the state, relation with foreign State or lead to incitement of an offence.
6. Further, bidders from countries which share land border with India (except to which the Government of India has extended line of credit or in which the Government of India is engaged in development projects as mentioned in order Public Procurement No.2 dated 23.07.2020 or its subsequent revisions/amendments), shall comply with the provisions of “Restrictions under Rule 144(xi) of the General financial Rules (GFRs) 2017” dated 23.07.2020 and its subsequent amendments.

7. Purchase Preference to Make in India Suppliers: Order 2017:

Provisions of Public Procurement (Preferences to Make in India) Order 2017 notified vide Order No: P-45021/2/2017-BE-II dated 15.06.2017 of DIPP as amended by order No.P-45021/2/2017-BE-II dated 28.05.2018, order No.P-45021/2/2017-BE-II dated 29.05.2019 order No.P-45021/2/2017-BE-II dated 04.06.2020, order No.P-45021/2/2017-BE-II dated 16.09.2020 and any subsequent amendments shall be applicable in this tender.

Bidders seeking benefits under preference to ‘Make in India’ (linked with Local Content) shall have to comply with the provisions specified under the Public Procurement (Preference to Make in India) Order 2017 and any subsequent amendments. Bidders shall provide self-certificate / certificate from the statutory auditor or cost auditor of the company (in the case of companies) or from a practicing cost accountant or practicing chartered accountant (in respect of suppliers other than companies), indicating whether they are Class-I Local Supplier and the offered items meet the local content requirement of the same. They shall also indicate percentage of local content for the item and give details of the locations at which the local value addition is made. Public Procurement (Preferences to Make in India) Policy (including its latest modifications/amendments) as may be prevailing on the date of Price Bid Opening shall be applicable against this tender. Bidders are requested to go through the Public Procurement (Preferences to Make in India) policy.

8. Online submission of the Bids (incl. attachments) will not be permitted on the portal after expiry of submission time and the Bidders shall not be permitted to submit the same by any other mode. In such case, even if the bidder has submitted the specific documents in hard copy (ies) in original within the stipulated deadline, its bid shall be considered as late and shall not be considered at all any further. Offline documents, if received by the Owner after the deadline for submission of hardcopies, then it will be considered as late bid even if the bidder has uploaded the bid online with in the deadline. In such a case, the bid uploaded on the portal shall not be considered at all any further.
9. Bids will be opened as per the schedule at the aforesaid venue. In case the office happens to be closed on the date of opening of bid as specified, the same will be opened on the next working day at the same time and venue.
10. Tenderer who has downloaded the tender from the NHPC website nhpcindia.com or Central Public Procurement Portal (CPPP) website <https://eprocure.gov.in/eprocure/app>, shall not tamper/modify the tender document including downloaded price bid template in any

manner. In case if the same is found to be tempered/ modified in any manner, tender will be completely rejected and EMD would be forfeited and tenderer is liable to be banned from doing business with NHPC.

11. The bids, as well as all correspondence and documents relating to the qualification exchanged by the bidders and the Client, shall be in the English language.
12. The details/ information regarding online tendering i.e. Registration on CPP portal, Preparation of Bid and Submission of bid are available in the tender document.
13. Any corrigendum/modification to tender documents shall be published in NHPC/CPP (e-Procurement service provider) website only and the bidders are advised to visit the site regularly before deadline for submission of bids.
14. In case of any difference between wordings of English and Hindi version of 'Notice Inviting Tender', English version shall prevail.

Note: Mere downloading of Bid document to/by prospective Bidder shall not be construed that such a bidder automatically fulfills the prescribed eligibility criteria. Whether the bidder meets the specific eligibility criteria or not, shall be checked or ascertained, on opening their bids by scrutinizing documentary evidences furnished by them along with their bid.

For & on behalf of NHPC Ltd.

General Manager (CC-IV),
Contracts-Civil Division,
2nd Floor, Jyoti Sadan,
NHPC Office Complex,
Sector-33, Faridabad-121003 (Haryana),
E-mail: contcivil4-co@nhpc.nic.in
Tel-0129-2250040